भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

आईआईएफटी की शाखाएं

2. श्री सी॰ गोपालकृष्णनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के अन्य भागों विशेषकर तमिलनाडू में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की शाखाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आईआईएफटी में सीटों की संख्या बढाने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) और (ख) वर्तमान में, सरकार का तमिलनाडु में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आईएफटी) की किसी शाखा की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) वर्तमान में, संस्थान चालू वर्ष में सीटों में वृद्धि करने पर विचार नहीं कर रहा है ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 169**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

राजस्थान में वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना

169. श्री मानशंकर निनामाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राजस्थान में वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान, जो कि एक रेगिस्तानी राज्य है, में बन्दरगाह के अभाव के कारण आयात और निर्यात पर अतिरिक्त समय और अधिक व्यय होता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) से (ड.) : राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सक्षमकारी माहौल उपलब्ध कराने तथा भारत के व्यापार को बढ़ावा देने में राज्यों को सक्रिय साझीदार बनाने के लिए एक संरचना का सृजन करने के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ निरंतर संवाद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) गठित (जुलाई 2015 में अधिसूचित) की गई है जिसमें राजस्थान सहित सभी राज्यों के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री सदस्य हैं। राज्यों को अपने उद्देश्य को सुस्पष्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिषद की नियमित वार्षिक बैठकों का आयोजन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सहित राज्यों में औद्योगिक उत्पादन एवं वृद्धि की सुविधा प्रदान के लिए सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया' एवं 'ईज ऑव डूइंग बिजनेस' जैसी प्रमुख पहलें भी की गई हैं।

सरकार ने स्थल-रूद्ध राज्यों के निर्यातकों की सहायता के लिए सूखे बंदरगाह स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है और राजस्थान में अभी तक अंत:स्थलीय कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार का कोई विशेष प्रस्ताव वर्तमान में विभाग के पास लंबित नहीं है।

***

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 164**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

घरेलू रत्न और आभूषण परिषद

164. डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रत्न और आभूषण उद्योग के लिए घरेलू परिषद बनाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति को दिए गए अधिदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार भारत के कीमती पत्थरों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू और आभूषण क्षेत्र को लाभ/प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विचार किए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) एवं (ख) : रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 सदस्यों को मिलाकर बनी रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद की एक तदर्थ राष्ट्रीय समिति का गठन घरेलू परिषद के संगम ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियमों तथा अन्य नियमों/ उप-विधियों का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया है।

(ग) एवं (घ): सरकार घरेलू रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के लिए रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के गठन की प्रक्रिया में सहायता कर रही है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि घरेलू उद्योग ऐसे प्रतिनिधिक निकाय से लाभान्वित होगा जो उद्योग के उन मुद्दों एवं चिंताओं को उजागर करने का फोरम होगा जिनका नीतिगत उपायों द्वारा समाधान करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, देश में रत्न एवं आभूषण उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार ने इन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कई उपाय किए हैं जैसे विशेष अधिसूचित जोन (एसएनजेड) की स्थापना करना, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करना, प्रयोगशाला में विकसित हीरों के लिए अलग आईटीसी एच एस कोड की घोषणा, एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, निर्यात संबंधित अवसंरचना का सृजन करना आदि।

***

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 148**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

डब्ल्यूटीओ में भारत–अमरीका का मामला

148. श्री राम चरित्र निषादः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधन तंत्र में अमरीका को खींचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ के तत्वावधान में विवाद दर्ज किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने यह कहा है कि इस निर्णय से अमरीका को इन उत्पादों के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा और यह वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) से (घ) : जी हॉ। इस्पात उत्पादों पर 25 प्रतिशत एवं अल्यूमिनियम उत्पादों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिरोपित करने का अमेरिका का एकपक्षीय उपाय डब्ल्यूटीओ प्रावधानों का उल्लंघन है। चूंकि इन उपायों का भारत के व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारत ने इन उपायों को डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) में यूएस को चुनौती दी है। चूंकि विवाद निपटान तंत्र के तहत 20 जुलाई 2018 को किए गए द्विपक्षीय विचार-विमर्श से इस विवाद का कोई समाधान नहीं आया, इसलिए इस विवाद के न्याय निर्णयन के लिए 4 दिसंबर 2018 को एक विवाद निपटान पैनल गठित किया गया है।

***

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 142**

दिनांक 4 फरवरी, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता न्यास को अनुदान सहायता

142. श्री एम॰ उदयकुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) न्यास को 1,040 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के अंशदान को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2017–18 से 2019–2020 तक तीन वर्षों के दौरान कायिक निधि का अभी उपयोग किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह कायिक निधि देश से होने वाले सामरिक और राष्ट्रीय महत्व वाली परियोजना निर्यातों के सहयोग के लिए एनईआईए को सुदृढ़ करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) जी हॉ। भारत सरकार ने एनईआईए ट्रस्ट को वित्तीय वर्ष 2019-20 तक तीन वर्षों में जारी किए जाने वाले रू.1040 करोड़ के सहायता अनुदान को मंजूरी दे दी है।

(ख) विवरण निम्नलिखित है

वित्तीय वर्ष 2017-18	रू. 440 करोड़; जारी की गई
वित्तीय वर्ष 2018-19	रू. 300 करोड़; जारी की गई
वित्तीय वर्ष 2019-20	रू.300 करोड़ की शेष राशि जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है और इस पर निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा फंड की उपलब्धता के अनुरूप किया जाएगा।

(ग) जी हॉ। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, एनईआईए ट्रस्ट ने रू.11,800 करोड़ मूल्य की परियोजना की सहायता की। आरंभ से, अबतक, एनईआईए ने 41 देशों में रू.45,182 करोड़ मूल्य की 130 परियोजनाओं की सहायता की है।

(घ) जी हॉ । बढ़ी हुई कायिक निधि के साथ,एनईआईए उन संविदाओं की सहायता कर सकता है जो बायर्स क्रेडिट-एनईआईए स्कीम के तहत 8.47 बिलियन यूएस डॉलर की वर्तमान में योजनाबद्ध सक्रिय 70 परियोजनाओं से संबद्ध होंगी।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.** 138

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन हेतु कार्यशालाएं

138. श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि वस्तुओं के लिए निर्यात नीति के कार्यान्वयन हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक कृषि खेपों को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क एवं ख) : जी, हां । कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन हेतु एक कार्ययोजना विकसित करने के लिए बैठके/कार्यशालाएं आयोजित की गई है । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 8 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन किया गया था । बैठक में विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के कृषि/बागवानी विभागों के प्रतिनिधि, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिध, व्यापार, कृषक समूह, व्यापार संवर्धन निकायों के प्रतिनिधि और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया । कृषि निर्यात नीति को कार्यान्वित करने के लिए राज्य एवं क्लस्टर स्तर पर भी बैठकें आयोजित की जा रही हैं ।

(ग) जी, हॉ । 2022 तक कृषि के निर्यात को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर लगभग 60 बिलियन अम.डा. तक करना कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों में से एक हैं ।

(घ) देश से कृषि उत्पादों का निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है । नई शुरू की गई कृषि निर्यात नीति में कृषि निर्यात की वृद्धि के लिए विभिन्न उपायों में कार्यनीति एवं प्रचालन दोनों को शामिल किया गया है । वाणिज्य विभाग के पास निर्यात संवर्धन के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात सहित व्यापार अवसरंचना निर्यात स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुँच उपक्रम (एमएआई) स्कीम, भारत से पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि जैसी कई योजनाएं हैं । इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के निर्यातकों के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड तथा मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत भी सहायता उपलब्ध है । ये संगठन विभिन्न बाजारों में विभिन्न उत्पादो के लिए बाजार पहुँच प्राप्त करने के लिए पहल द्वारा बाजार सूचना प्रसार, निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने आदि और अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से भी निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.** 128

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस पर 'वुमनिया'

128. श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पर 'वुमनिया' एप आरंभ किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस योजना के क्या लाभ हैं;
(ग) उस प्रविधि का ब्यौरा क्या है, जिसके द्वारा सरकार का इस योजना के साथ महिलाओं को जोड़ने का विचार है;
(घ) क्या गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस एक सरकारी कंपनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश के उन भागों का ब्यौरा क्या है, जहां इस योजना को कार्यान्वित किया गया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) जी हॉ । जीईएम पर ' वुमनिया ' का शुभारम्भ 15 जनवरी, 2019 को किया है ।

(ख) ' जीईएम पर वुमनिया ' महिला उद्यमियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को सक्षम करने की एक पहल है जो विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों एवं संस्थानों को सीधे हस्तशिल्प और हथकरघा सामग्रियों, जूट एवं कॅयर उत्पादों, गृह सजावट और कार्यालय फार्निशिंग्स के विक्रय के लिए बाजार में डब्ल्यूएसएचजी की पहुँच को सक्षम बनाता है ।

(ग) जीईएम भागीदार मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्वयं सहायता समूहों एवं कॉरपोरेट तथा एनजीओ समुदाय से विविध स्टेकहोल्डरों के साथ महिलाओं को वुमनिया से जोड़ने का काम करता है ।

(घ) जीईएम विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा सामान्य उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली धारा 8 कंपनी है । जीईएम के निदेशक मंडल की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते है ।

(ड.) साधारण माल एवं सेवा की खरीद के प्रयोजनों के लिए जीईएम भारत भर में सभी सरकारी और उसकी एजेंसियों के लिए उपलब्ध है ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.** 118

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यातकों के लिए पर्याप्त निधियां

118. श्रीमती रक्षाताई खाडसेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में निर्यातकों के लिए होने वाले कम होते ऋण की समस्या के समाधन के लिए निर्यातकों को निधियां उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार संभारतंत्र साझेदारी के क्षेत्र में अन्वेषण के लिए उसमें भागीदारी करने वाले विश्वस्तरीय बड़े समूह के साथ एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है क्योंकि संभारतंत्र क्षेत्र विश्व बाजार में भारतीय माल की प्रतिस्पर्धत्मकता को बढाने में अहम भूमिका निभा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) एवं (ख) जी हॉ । पोत लदान पूर्व एवं पोत लदान पश्चात रूपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.4.2015 से शुरू किया गया है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिल सके । इस स्कीम के तहत अभिज्ञात 416 टैरिफ लाइनों [4 अंक आईटीसी (एचएस) कोड पर] के तहत सभी निर्यातों और सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा सभी आईटीसी (एचएस) कोड से किए गए निर्यात के तहत उपलब्ध 3 प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज समकरण कराया गया है । एमएसएमई निर्यातकों द्वारा केड्रिट - ऑफ टेक को सहायता के लिए ब्याज समकरण स्कीम के तहत ब्याज समकरण को सभी आईटीसी (एचएस) कोड के लिए एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यात हेतु दिनांक 02.11.2018 से 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है ।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2 जनवरी, 2019 को इस योजना के तहत अभिज्ञात 416 टैरिफ लाइनों के तहत आने वाले उत्पादों के निर्यात के लिए ऐसे ऋणों पर 3 प्रतिशत की ब्याज समकरण दर को मंजूरी देकर प्री और पोस्ट शिपमेंट रूपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समकरण स्कीम (आईईएस) के तहत व्यापारिक निर्यातकों को भी शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता ।

****

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **111**

<u>दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

सरकारी खरीद में पारदर्शिता

111. श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता हासिल करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त पहल को सफल बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों का विश्वास हासिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त योजना के अंतर्गत हाथ मिलाया है?

<u>उत्तर</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

<u>(श्री सी.आर.चौधरी)</u>

(क) एवं (ख): अधिक पारदर्शिता तथा कार्यक्षमता, प्रौद्योगिकी चालित राष्ट्रीय सरकारी खरीद प्रणाली लाने के उद्देश्य से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार के तहत 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली खण्ड 8 इकाई के रूप में सरकारी ई - मार्केटप्लेस (जीईएम) को स्थापित किया गया है जो सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू एवं एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों हेतु शुरू से अंत तक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है ।

(ग) एवं (घ) : आज की तारीख तक 28 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने उसमें सूचीबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए जीईएम को अंगीकार करने और उपयोग करने के लिए जीईएम एसपीवी के साथ समझौता ज्ञापन किया है ।

****

भारत सरकार | लोक सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. **106**

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा

106. श्री बी॰वी॰ नाईकः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे के अन्तर को पाटने के लिए कोई सख्त उपाय किए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान चीन से आयात का कुल मूल्य कितना है;
(ग) क्या सरकार ने भारतीय घरेलू बाजार में चीन के उत्पादों की अधिकता से निपटने के लिए स्वदेशी उद्योगों को पर्याप्त नीतिगत सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए किसी योजना की रूपरेखा तैयार की है;
(घ)यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख है; और
(ङ) भारत में उपलब्ध कराए गए और घरेलू बाजार वर्चस्व वाले चीनी उत्पादों, कच्चे और निर्मित वस्तुओं की सूची क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) एवं (ख): जी हां । भारत सरकार चीन को भारतीय निर्यातों के लिए व्यापार की बाधाएं कम करने के द्वारा व्यापार घाटे को पाटने के लिए निरंतर और सतत कदम उठा रही है । 26 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित भारत - चीन के आर्थिक संबंधों पर संयुक्त समूह (जेईजी) के 11वें सत्र के दौरान, दोनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने एक संतुलित और अधिक स्थायी तरीके से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढाने पर सहमति दी है । चीनी बाजार में विभिन्न भारतीय कृषि उत्पादों, पशु चारों, तिलहन, दूध एवं दुग्ध उत्पादों, औषधीय उत्पादों आदि उत्पादों /सेवाओं की संभाव्यता के आलोक में बाजार पहुंच प्राप्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के भाग के रूप में चीनी समकक्षों के साथ विभिन्न बैठके आयोजित की जा चुकी हैं । इसके अलावा, भारत से चीन को भारतीय चावल, रेपसीडमील, फिशमील - फिश ऑयल और तंबाकू पत्तों का निर्यात सुगम करने के लिए प्रोटोकॉल्स पर भी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं ।

वर्ष 2015-16 , 2016-17 , 2017-18 एवं 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान चीन से आयातों का विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	आयात (मिलियन यूएस डॉलर में)
2015-16	61707.95
2016-17	61283.03
2017-18	76380.70
2018-19 (दिसंबर, 2018 तक) *	53878.06

*अनंतिम (स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

(ग) से (ड.) : भारत के पास इसके वातावरण, इसके लोगों , पौधों एवं पशुओं के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक व्यापक और मजबूत कानूनी ढांचा और संस्थागत तंत्र है । भारत में आयात की जा रही सभी वस्तुएं समय - समय पर अधिसूचित किए जाने वाले घरेलू कानूनों, नियमों आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशन, पर्यावरण एवं सुरक्षा मानदण्डों के अध्यधीन हैं । सरकार ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई करती है यदि किसी स्रोत से आयात की जा रही वस्तुएं इन विनियमों का उल्लंघन कर रही है और मानव,पशु अथवा पौधे के जीवन अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

इसके अलावा, व्यापार सुरक्षा उपाय जैसे पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, सुरक्षा के उपायों को निर्धारित डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के तहत लागू किया गया है । व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली वस्तुओं के देश में पाटन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत रूप से पुष्टि घरेलू उत्पादक द्वारा दायर आवेदन के आधार पर पाटनरोधी जांच प्रांरभ कर सकता है । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे आवेदन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाती हैं । डीजीटीआर जांच संचालित करता है और अपने प्रारंभिक /अंतिम निष्कर्ष जारी करके राजस्व विभाग को, जहां कहीं उचित है , वहां शुल्क का अधिरोपन करने की सिफारिश करता है । डीजीटीआर की ऐसी सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, राजस्व विभाग अनन्तिम अथवा निर्णायक शुल्क अधिरोपित कर सकता है ।

28.01.2019 के अनुसार, चीन से आयात किए जा रहे 99 उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है । इन 99 उत्पादों का क्षेत्र- वार विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं.	उत्पाद श्रेणी	मामलों की संख्या जहां शुल्क लागू है
1	रसायन और पेट्रोरसायन	40
2	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक मदें एवं एक्सेसरीज	05
3	फाइबर और यार्न	08
4	फाइबर बोर्ड	01
5	ग्लास और ग्लासवेयर	10
6	मशीनरी वस्तुएं	5
7	औषध	2
8	रबड अथवा प्लास्टिक उत्पाद	1
9	इस्पात एवं अन्य धातु	11
10	अन्य उत्पाद	16
	कुल	99

****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 95**

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार घाटा

95. श्री राहुल शेवालेः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ाः
श्री संजय धात्रेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में निवल निर्यात में कमी के कारण व्यापार घाटे में वृद्धि हो गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधो क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;:

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात की मात्रा और निवल निर्यात का मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं तथा देश की विश्व व्यापार में कितनी हिस्सेदारी है तथा उक्त अवधि के दौरान आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निवल निर्यात में कमी ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का देश में कार्यान्वित की जा रही विद्यमान निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश के निवल निर्यात और जीडीपी में सुधार करने के लिए तथा भविष्य में व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर. चौधरी)

(क) से (घ): पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत के निर्यात, आयात, निवल निर्यात (कुल निर्यात के मूल्य से घटाए गए कुल आयात का मूल्य) का मूल्य और वर्तमान मूल्य पर जीडीपी निम्नलिखित हैः–

(करोड़ रु. में)

वर्ष	माल और सेवा का निर्यात (वर्तमान मूल्य पर)	माल और सेवा का आयात (वर्तमान मूल्य पर)	माल और सेवा का निवल निर्यात (वर्तमान मूल्य पर)	जीडीपी (वर्तमान मूल्य पर)
2014–15	2863636	3235962	(–)372326	12467959
2015–16	2728641	3044915	(–)316274	13764037

2016–17	2946243	3208505	(–)262262	15253714
2017–18 (आरई)	3194507	3694286	(–)499779	16773145
2018–19 (1 एई)	3727937	4387991	(–)660054	18840731

आरईः संशोधित अनुमान, एईः अग्रिम अनुमान, स्रोतः सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

माप की विभिन्न इकाइयों की वजह से निर्यात और आयात की कुल मात्रा योगज नहीं ह। उपर्युक्त तालिका में आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले वर्षों की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वर्ष 2015–16 और 2016–17 में निवल निर्यात में कमी आयी। तथापि, इसमें वर्ष 2017–18 और 2018–19 में गत वर्षों की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है। व्यापार घाटा वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति, मुद्रा में उतार–चढाव, क्रेडिट लागत, संभार तंत्र लागत आदि की वजह से विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात में सापेक्ष उतार–चढ़ाव पर निर्भर करता है। निवल निर्यात में गिरावट का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है।

पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए व्यापार घाटा के शीर्ष 30 मुख्य पण्यवार मूल्य अनुलग्नक–I में दिए गए है।

वर्ष	**विश्व में व्यापारिक वस्तु आर सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)**	**विश्व में व्यापारिक वस्तु और सेवा आयात में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)**
2014	1.99	2.45
2015	1.98	2.32
2016	2.03	2.27
2017	2.10	2.60

स्रोतः विश्व व्यापार संगठन

विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अनुसार सरकार का उद्देश्य भारत से व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को 465.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर वर्ष 2019–20 तक लगभग 900 अमेरीकी बिलियन डालर करना है तथा वैश्विक निर्यात (माल और सेवा) में भारत के हिस्से को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत करना है।

(ड.) और (च): सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा की जिसे 5 दिसम्बर, 2017 को जारी किया गया। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तथा व्यापार घाटा कम करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 को लांच की गई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20, दिनांक 5 दिसंबर, 2017 को जारी इसकी मध्यावधि समीक्षा तथा समय–समय पर किए गए अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से अनेक कदम उठाए है। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैंः–

(i) विदेश व्यापार नीति 2015–20 'मेक इन इण्डिया', 'डिजीटल इण्डिया', 'स्किल इण्डिया', 'स्टार्ट अप इण्डिया' तथा 'व्यापार करने की सुगमता' की पहलों के अनुरुप देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के साथ–साथ रोजगार सृजित करने तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है।

(ii) नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से विकसित हो रही संरचना के मद्देनजर भारत को बाहय वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना तथा व्यापार को देश की आर्थिक सवृद्धि और विकास में प्रमुख भागीदार बनाना है।

(iii) नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों पर शुल्क की माफी/छूट संबंधी स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढावा देने हेतु तंत्र उपलब्ध कराती है।

(iv) भारत से व्यापारिक वस्तुओं के नियात की स्कीम (एमईआईएस) को 1 अप्रैल, 2015 को विदष व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 में प्रारंभ की गयी जिसका उद्देश्य भारत मे उत्पादित/विनिर्मित माल/उत्पादों का निर्यात करने में शामिल अवसंरचनाओं कमियों और सम्बन्ध लागत कम करना है। एमईआईएस के तहत जारी डयूटी क्रेडिट स्क्रिपों तथा इन स्क्रिपों के मद्दे आयातित माल पूर्णतः हस्तांतरणीय हैं। उद्योग जगत की माग पर दिसंबर 2017 में विदेष व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा के समय एमईआईएस के अंतर्गत निर्यात प्रतिफल को श्रम गहन, एमएसएमई क्षेत्रों, रेडीमेड परिधानों और निर्मितियों हेतु सभी के लिए 2 प्रतिषत तक बढाया गया। इसके बाद वर्ष 2018–19 में सीमित अवधि के लिए एमईआईएस के तहत कुछ कृषि उत्पादों जैसे बंगाल ग्राम, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, सोया डी आयल्ड केक और गैर बासमती चावल हेतु प्रतिफल प्रदान किया/बढ़ाया गया है ताकि इन कृषि क्षेत्र की मदों के निर्यात को बढ़ावा मिले। आज की तारीख में एमईआईएस स्कीम के 8 अंक स्तर की 8057 प्रषुल्क लाइनों को कवर किया जाता है और प्रतिफल प्रदान किया जाता है।

(v) अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ान के लिए 1 अप्रैल, 2015 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 में भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एसईआईएस) को प्रारंभ किया गया। विदेष व्यापार नीति 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा के समय निर्यात हेतु सभी अधिसूचित सेवाओं की दर में दिनांक 01.11.2017 से 2 प्रतिषत तक वृद्धि की गई है जिसके फलस्वरुप 1140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमानित वार्षिक प्रतिफल प्राप्त हुआ है ताकि अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

(vi) सेवाओं के चैंपियन क्षेत्रों के संबंध में एक कार्य–योजना को 28 फरवरी 2018 को अनुमोदित किया गया है जिसके द्वारा चिन्हित 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों के नोडल मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ–साथ सेवाओं के निर्यात को बढावा देने के उद्देष्य से क्षेत्रीय पहलों को प्रारंभ करने के निदेष दिए गए हैं।

(vii) सरकार सेवा क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक सेवा प्रदर्शनी, एडवांटेज हेल्थ केयर इण्डिया और उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन इत्यादि सहित विभिन्न इवेंटस का आयोजन करती रही है। सरकार सेवा क्षेत्र स संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनियों में भी भाग लेती रही है।

(viii) विभिन्न द्विपक्षीय/बहुपक्षीय/विविध–पक्षीय व्यापार वार्ताओं में सरकार भारत के सेवा निर्यात हेतु वाणिज्यिक रुप से सार्थक बाजार–पहुंच की खोज करती रही है।

(ix) नीति में विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत के सामान्य निर्यात दायित्व तक करते हुए ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की खरीद को बढावा देने के उपाय शामिल हैं।

(x) नीति में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अंदर निर्यात उत्पाद में वास्तविक रुप से शामिल निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करने के लिए अग्रिम प्राधिकार–पत्र जारो करने का प्रावधान है।

(xi) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 01.04.2015 से प्रारंम्भ किया गया है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

(xii) 'निर्यात बंधु स्कीम' को और बेहतर और पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि 'स्किल इण्डिया' तथा व्यापार संवर्धन/जागरुकता बढाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

(xiii) कागजरहित कार्य प्रणाली को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापार सरलीकरण तथा व्यापार करने की सुगमता को बढावा देने के उपाय किए गए हैं। सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 2016 से एक एकल विन्डो इन्टरफेस (स्विफ्ट) मंजूरी परियोजना प्रारंभ किया है। स्कीम से आयातकों/निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रानिक वाणिज्य/इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे अर्थात् आइसगेट पोर्टल पर सामान्य इलेक्ट्रानिक 'एकीकृत घोषणा' फाइल करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यापार सुगमीकरण को बढावा देने के लिए भारत ने अप्रैल 2016 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते (टीएफए) का भी अनुसमर्थन किया था।

(xiv) देश में निर्यात अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 1 अप्रैल 2017 से एक नई स्कीम नामतः ''निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम'' (टीआईईएस) लांच की गई है।

(xv) 5 दिसंबर 2017 को आरंभ विदेश व्यापार नीति 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा में निर्यात संवर्धन हेतु अधिक प्रोत्साहनों का प्रावधान है।

(xvi) वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करने और कृषि निर्यात को गति देन के लिए सरकार ने एक व्यापक ''कृषि निर्यात नीति'' 6 दिसम्बर, 2018 को लांच की है जो भारतीय कृषको और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य चेन के साथ एकीकृत करेगी। कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- कृषि निर्यातों को वर्तमान यूएस डालर 30+ बिलियन से यूएस डालर 60+ बिलियन डालर तक वर्ष 2022 तक दुगना करना और इसके बाद स्थाई व्यापार नीति व्यवस्था के साथ आगामी कुछ वर्षों में यूएस डालर 100 बिलियन तक पहचाना।
- हमारी निर्यात बास्केट, गंतव्यों में विविधता लाना और खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उच्च मूल्य और मूल्य संवर्धित कृषि निर्यात को बढावा देना।
- नये, स्वदेशी जैविक, संजातीय, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादो के निर्यात को बढावा देना।
- बाजार पहुंच बनाने, बाधाओं को दूर करने तथा सैनेटरी और फाइटो–सैनेटरी मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र की व्यवस्था करना।
- विष्व कृषि निर्यातों में भारत का हिस्सा दुगना करने का प्रयास वैश्विक मूल्य चेन के साथ शीघ ही एकीकृत होकर करना।
- विदेशी बाजार में निर्यात अवसरो के लाभ प्राप्त करने के लिए कृषको को समर्थ बनाना।

अनुलग्नक-I

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 95 के भाग(क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

मौजूदा वर्ष में उच्चतम व्यापार घाटा वाले 30 प्रमुख वस्तुओं के लिए 2014-15 से 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान व्यापार घाटा

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्र. सं.	प्रमुख वस्तुएं	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 (अप्रैल-नवम्बर)	2018-19 (अप्रैल-नवम्बर)*
1	पेट्रोलियम: क्रूड	-116442.86	-65922.98	-70705.39	-87372.27	-52575.49	-80061.55
2	सोना	-31562.03	-26197.20	-21396.60	-31263.47	-21115.62	-21749.59
3	कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि	-17666.05	-13507.14	-15595.36	-22733.41	-14204.12	-17482.93
4	पेट्रोलियम उत्पाद	-13624.08	-14521.90	-15527.97	-20645.52	-13853.38	-11921.43
5	स्वर्ण और अन्य कीमती धातु आभूषण	-3502.82	-5272.77	-6618.27	-8043.47	-5023.23	-8719.77
6	औषधि सूत्रण, जैविक	-10526.92	-10412.15	-10776.46	-11549.65	-8120.87	-6687.14
7	मोटर वाहन / कार	-6899.66	-7143.71	-6631.98	-7879.31	-5232.18	-5947.73
8	आरएमजी कपास सहायक सामग्री सहित	-6714.53	-6330.20	-6301.06	-7453.90	-5128.68	-4668.66
9	समुद्री उत्पाद	-6289.39	-6965.95	-4205.43	-4553.71	-3438.07	-4306.79
10	सूती कपड़े, मेडअप्स आदि	-4414.93	-5023.52	-4734.99	-5137.48	-3393.81	-4265.38
11	सूती धागा	-3507.40	-3919.88	-4054.67	-4884.19	-3245.79	-3728.18
12	चावल- बासमती	-5947.33	-4764.80	-5034.67	-5286.11	-3581.53	-3644.14
13	भैंस का मांस	-3314.03	-3450.03	-3408.33	-4016.60	-2765.90	-3154.65
14	आरएमजी मानव निर्मित फाइबर	-3810.67	-3818.91	-3219.66	-3786.96	-2587.85	-3152.66
15	चावल (बासमती के अलावा)	122.35	-819.15	-776.46	-1093.75	-792.46	-2891.13
16	अन्य वस्त्र सामग्री के आरएमजी	1451.80	-1024.72	-4990.71	-5412.42	-3952.58	-2786.56
17	मानव निर्मित धागा, कपड़े, मेडअप्स	-4517.83	-3735.38	-1827.88	-3203.59	-2265.51	-2759.69
18	मसाले	-6178.16	-4705.59	-3867.75	-5805.20	-3705.38	-2478.93
19	दो और तीन पहिया वाहन	-2306.51	-2294.56	-2369.04	-2732.42	-1762.96	-2092.62
20	डाय	-1790.58	-1518.11	-1804.84	-2067.50	-1226.97	-1982.16
21	लौह और इस्पात के उत्पाद	-3657.63	-5759.33	444.13	812.52	259.07	-1965.60
22	चमडे के फुटवेअर	-1675.98	-1583.02	-1403.43	-2034.63	-1344.39	-1779.54
23	ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	-3594.84	-2732.06	-2045.70	-2055.65	-1341.22	-1503.68
24	कृषि रसायन	-7024.93	-8166.36	-7924.77	-2365.77	-1505.56	-1441.53
25	ऑटो टायर और ट्यूब	-2087.60	-2115.25	-1573.53	-1579.86	-1249.08	-1145.02
26	कालीन (रेशम को छोडकर) हस्तनिर्मित	-1384.57	-1223.07	-1384.05	-1827.83	-1261.58	-1074.39
27	चमड़े के सामान	-1895.00	-2984.73	-1915.02	-2090.88	-1242.82	-1019.87
28	खली	-177.90	-570.78	-559.65	-496.23	-427.70	-1011.77
29	कपास कच्चे अपशिष्ट सहित	-1048.94	-1059.35	-939.65	-1181.14	-901.58	-994.68
30	हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीन को छोडकर)	-383.51	-633.15	-632.25	-969.73	-608.33	-977.60

* अनंतिम, स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

*****

भारत सरकार | लोक सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 87

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

87. श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत:
श्री धनंजय महाडीक:
श्री पी॰ आर॰ सुन्दरम:
श्री राजीव सातव:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ॰ जे॰ जयवर्धन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश से इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्य का देश–वार और उत्पाद–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में कमी को रोकने के लिए इस क्षेत्र को ब्याज में छूट, योजना के विस्तार सहित वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश से इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश से इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढावा देने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) एवं (ख): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में भारत से इंजीनियरिंग निर्यातों का मूल्य निम्नलिखित है:

(बिलियन अम.डॉ. में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 (अप्रैल - दिसंबर)	2018-19 (अप्रैल-दिसंबर)
इंजीनियरिंग निर्यात	58.60	65.24	76.21	55.81	59.12
पूर्ववर्ती वर्ष की समनुरूपी अवधि के दौरान वृद्धि (%)	(-) 17.07%	11.26%	16.87%		5.95%

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है , इंजीनियरिंग निर्यातों में वर्ष 2015-16 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 17.1 प्रतिशत की गिरावट हुई जिसका कारण विश्व के कई क्षेत्रों विशेषकर विकसित देशों में अनुगामी आर्थिक मंदी और मंदी के कारण मांग में गिरावट होना रहा । तथापि, इंजीनियरिंग निर्यातों में तब से वृद्धि हुई है ।

(ग): ईईपीसी इंडिया, इंजीनियरिंग उत्पादों हेतु निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इंजीनियरिंग निर्यातों हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य और इंजीनियरिंग क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के दौरान वास्तविक निर्यात निम्नलिखित हैं । परिषद द्वारा देश - वार /उत्पाद वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

इंजीनियरिंग निर्यात (बिलियन अम.डॉ. में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लक्ष्य	75	65	70	80
वास्तविक निर्यात	58.60	65.24	76.21	59.12 (अप्रैल- दिसंबर)

(घ) एवं (ड.) : सरकार ने भारतीय निर्यातों , विशेषकर इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढाने के लिए अनेक पहलें की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्न शामिल हैं :

(i) ब्याज समकरण स्कीम के तहत, अनेक इंजीनियरिंग उत्पादों सहित 416 टैरिफ लाइनों के तहत कवर किए गए उत्पादों के लिए विनिर्मातक निर्यातकों और एमएसएमई विनिर्मातकों को सभी टैरिफ लाइनों के लिए 3 प्रतिशत की दर पर समकरण की अनुमति दी गई थी । 02.11.2018 से एमएसएमई विनिर्मातकों के लिए सभी इंजीनियरिंग उत्पादों सहित सभी टैरिफ लाइनों के लिए ब्याज समकरण की दर को बढा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(ii) व्यापारी निर्यातकों को हाल ही में ब्याज समकरण स्कीम के तहत शामिल किया गया है ;

(iii) ईईपीसी इंडिया के जरिए इंजीनियरिंग निर्यातों को बढावा देने के लिए भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो और विश्व भर में भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनियों सहित अनेक प्रकार के निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप किए जा रहे हैं ;

(iv) भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों की वैश्विक छवि में वृद्धि लाने के लिए ब्रैण्ड 'इंडियन इंजीनियरिंग '' को बढावा दिया जा रहा है ।

(v) अत्याधुनिक निर्यात - उन्मुख प्रौद्योगिकियों आदि के विकास के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन पहल कार्यान्वित की जा रही है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 86

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना

86. श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री एस॰ राजेन्द्रनः

श्री टी॰ राधाकृष्णनः

कुँवर हरिवंश सिंहः

श्री एस॰आर॰ विजय कुमारः

श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवधन पूंजीगत वस्तु योजना लागू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को चलाने के लिए निर्यातकों द्वारा पूरी किए जाने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत निर्यातकों के लिए उपलब्ध लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किए बिना उक्त योजना के लाभ लेने वाले निर्यातकों का उदाहरण है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क), (ख) और (ग): जी, हां। गुणवत्तापूर्ण माल और सेवाओं का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल का आयात सुगम करने और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के साथ या उसके बिना विनिर्माता निर्यातकों, सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम नामक स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

इस स्कीम के तहत शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन–पूर्व, उत्पादन और उत्पादन–पश्चात के लिए पूंजीगत माल (नकारात्मक सूची में शामिल पूंजीगत माल को छोड़कर) का आयात करने के लिए 24 महीने की आयात वैधता के साथ तथा प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 6 वर्षों में पूरा किए जाने वाले पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क, कर और उपकर के 6 गुने के समतुल्य विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति के अध्यधीन वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किए जाते हैं। इसके अलावा प्राधिकार–पत्र धारक को समान और इसी तरह के उत्पादों हेतु पूर्ववती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले औसत निर्यात दायित्व को पूरा करना अपेक्षित होता है। तथापि, यदि आधी वास्तविक निर्यात दायित्व अवधि म विशिष्ट निर्यात दायित्व को न्यूनतम 75 प्रतिशत और औसत निर्यात दायित्व को शत प्रतिशत पूरा किया जाता है, तो बकाया निर्यात दायित्व को माफ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत माल को स्वदेशी स्रोत से प्राप्त करने तथा हरित प्रौद्योगिकी के निर्यात के मामले में विशिष्ट निर्यात दायित्व केवल 75 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्म् एवं कश्मीर मे स्थित इकाईयों हेतु विशिष्ट निर्यात दायित्व केवल 25 प्रतिशत है। वर्तमान में वास्तविक निर्यात हेतु आयातित पूंजीगत माल को भी 31.03.2019 तक आईजीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त हैं।

(घ) और (ड.) जी हां। गत तीन वर्षों में सूचित चूककर्ताओं की संख्या वर्ष 2015–16 में 1347, वर्ष 2016–17 में 1122 और वर्ष 2017–18 में 1031 है। क्षेत्रीय प्राधिकारियों ने विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन अधिनियम) 1992 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिसों को जारी करके तथा सीमा शुल्क की ब्याज सहित वसूली हेतु न्यायनिर्णयन आदेशों को पारित करके दण्डात्मक कार्रवाई की है।

***

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 75

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

मसाला पार्कों की स्थापना

75. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में मसाला पार्क की स्थापना करने का कोई विचार है; और
(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां इनकी मांग है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) एवं (ख) : सरकार के पास देश में मसाला पार्कों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

*****

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 73

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माताओं के समक्ष आने वाले मुद्दे

73. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री आध्यलराव पाटील शिवाजीरावः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माताओं के समक्ष नीति के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों सहित ऐसे कोई विशेष मुद्दे/परेशानियां आ रही हैं जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्पन्न हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उद्योग जगत ने वित्त मंत्रालय से इन क्षेत्रों के विकास को बढावा देने के लिए अधिक रोजगार पैदा करने हेतु कर–लाभ बहाल करने पर विचार करने का बार–बार आग्रह किया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या देश में बड़े निर्यात केन्द्रों के रूप में उभरे विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने न्यूनतम वैकल्पिक कर और 'सनसेट क्लाज़' के प्रवर्तन के बाद अपनी चमक खो दी है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या सरकार ने दिसंबर, 2017 तक 423 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अनुमोदन प्रदान किया है और यदि हां, तो इनमें से अब तक परिचालन में आए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है और साथ ही, इन क्षेत्रों से अप्रैल–सितंबर 2017–18 के दौरान हुए निर्यात की मात्रा कितनी है; और
(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माताओं के समक्ष उत्पन्न मुद्दों से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) और (ड.) :एसईजेड स्कीम की नीति और प्रचालानात्मक रूपरेखा पर पणधारकों से प्राप्त इनपुट/सुझावों के आधार पर सरकार, एसईजेड की नीति और प्रचालानात्मक रूपरेखा की आवधिक समीक्षा करती है और आवश्यक उपाय करती है जिससे कि एसईजेड का त्वरित और प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुकर हो सके । इस संबंध में , सरकार ने भारत की एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष मैसर्स भारत फोर्ज की अध्यक्षता में विख्यात व्यक्तियों के समूह का गठन किया था । समूह ने दिनांक 19.11.2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ।

(ख): जी हां । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मैट से मूल छूट को बनाए रखने और सेज विकासकर्ताओं एवं इकाईयों के लिए सनसेट क्लाज को वापस लेने हेतु वित्त मंत्रालय से सिफारिश भी की थी किंतु इसकी सहमति नहीं दी गई ।

(ग) दिनांक 23 जून, 2005 को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , 2005 को अधिनियमित किया गया । आरंभ के पांच वर्षों (अर्थात 2007-2008 से 2011-2012 तक) एसईजेड में नई इकाइयों में 186 प्रतिशत की वृद्धि हुई । तथापि, एमएटी के अधिरोपण के पश्चात , अगले 6 वर्षों और वर्तमान वर्ष (अर्थात 2012-13 से 2018-2019 (दिनांक 30.09.2018 तक) नई इकाईयों में 140 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

(घ): एसईजेड अधिनियम, 2005 के लागू होने से पूर्व केंद्रीय सरकार के सात विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के अतिरिक्त देश में सेज की स्थापना करने के लिए 421 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है । वर्तमान में, 355 अधिसूचित एसईजेड में से कुल 231 एसईजेड प्रचालनशील है ।

****

भारत सरकार | लोक सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 70

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

वस्त्र निर्यात

70. डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित बातचीत में लगातार असफलता और उद्योगों में नवाचार की कीमत पर शुल्क–वापसी पर निर्भरता के कारण हमारे वस्त्र उद्योगों को हानि हो रही है और इसका लाभ पड़ोसी देशों को मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वस्त्र उद्योग में निर्यात को बढाने के लिए किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान हस्ताक्षरित किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) एवं (ख): विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) प्रणालियों के अनुसार, अल्प विकसित देश (एलडीसी) सामान्यीकृत अधिमानता प्रणाली (जीएसपी) का लाभ उठाते हैं जिसके कारण उन्हें शुल्क लाभ का फायदा होता है । इसके मद्देनजर , भारत को अन्य पडोसी एलडीसी की तुलना में 9.6 प्रतिशत तक शुल्क में हानि का सामना करना पडता है । वर्ष 2014-17 के बीच वस्त्र की वैश्विक मांग में भी भारी कमी हुई जिसके कारण भारत से वस्त्र निर्यातों में कमी हुई है ।

शुल्क प्रतिअदायगी स्कीम निर्यात की गई वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किए गए इनपुटों पर प्रभारित सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कों में छूट देती है । शुल्क प्रतिअदायगी स्कीम का संबंध वस्त्र उद्योग में नवाचार की कमी अथवा पडोसी देशों के कारण हानि उठाने से नहीं है ।

(ग) वस्त्र उद्योग के निर्यातों को बढाने के लिए, सरकार ने परिधान और मेड-अप्स क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है । इस पैकेज में राज्य लेवियों में छूट (आरओएसएल), श्रम कानून सुधार, एटीयूएफएस के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन और आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए में छूट प्रदान है । इसके अतिरिक्त, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम के

तहत दिनांक 1 नवंबर, 2017 से अपैरल की दरों को 2 प्रतिशत से बढाकर 4 प्रतिशत, मेड अप्स हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए दरों को 5 प्रतिशत से बढाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है । अन्य बातों के साथ - साथ, वस्त्र मूल्य श्रृंखला में फाइबर, यार्न और फेब्रिक जैसे उत्पादों को विभिन्न योजनाओं , फेब्रिक सेगमेंट के लिए पावरटेक्स, कताई के अलावा सभी सेगमेंटों के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (एटीयूएफएस), सभी सेगमेंटों के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एसआईटीपी) आदि से सुदृढ एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा रहा है । बाजार पहुंच पहल (एमएआई) के तहत भी निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 02.11.2018 से वस्त्र क्षेत्र के लिए लदान पूर्व एवं लदान पश्चात ऋण के लिए ब्याज समकरण दर को 3 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत कर दिया है । पूर्व में जो लाभ केवल विनिर्माता तक सीमित थे, को वर्ष 2019 से व्यापारी निर्यातकों को प्रदान किया गया है ।

(घ): विगत पांच वर्षों के दौरान, भारत ने किसी नये मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं । तथापि, नवंबर, 2014 में भारत- आसियान वस्तु व्यापार (टीआईजी) करार का विस्तार किया गया है ताकि इस करार के तहत सेवा और निवेश अध्याय को शामिल किया जा सके । इसके अतिरिक्त , मार्च 2006 में हस्ताक्षर किए गए भारत चिली पीटीए का दिनांक 6 सितंबर, 2016 को विस्तार किया गया और यह दिनांक 16 मई, 2017 से प्रभावी बनाया गया ।

*****

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 62

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

आमों का उत्पादन और निर्यात

62. श्री धनंजय महाडीकः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
श्री पी॰ आर॰ सुन्दरमः
श्री राजीव सातवः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ जे॰ जयवर्धनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार और मूल्य–वार कितनी मात्रा में आमों का उत्पादन और निर्यात किया गया है;
(ख) क्या यह सच है कि देश विशेषकर महाराष्ट्र में अपर्याप्त शीतागार सुविधा के कारण आम वहन के दौरान ही पक जाते हैं और यदि हां, तो आमों सहित विनाशशील फलों की ढुलाई के लिए प्रशीतित कंटेनर की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का आमों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने और इसके निर्यात को सुकर बनाने के लिए आम बोर्ड स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विदेशों में आम प्रदर्शनियां आयोजित की हैं अथवा आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आमों के उत्पादन और निर्यात को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों और निर्यातकों को कितनी रियायतें और सुविधाएं प्रदान की गई/की जा रही हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत से आमों के निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

मात्रा (मी.ट.); मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)

आईटीसीएचएस	वस्तु विवरण	2015-16		2106-17		2017-18		2018-19 (नवंबर 2018 तक) *	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
08045020	ताजे आम	36779.26	50.10	52761.00	66.46	49671.32	59.45	43063.70	53.80
08045030	आम के सूखे टुकडे	3644.09	6.94	376.78	2.40	569.05	3.05	1035.56	3.39
08045040	आम का गूदा	128,866.01	121.29	130,886.07	126.14	110,923.73	104.54	72187.96	64.12
कुल		**169,289.36**	**178.33**	**184023.85**	**195.00**	**161,164.10**	**167.04**	**116,287.22**	

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस , * 2018-19 के आंकड़े केवल अनंतिम हैं

निर्यात के राज्यवार आंकडे डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं । विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आम के राज्य-वार उत्पादन का विवरण अनुबंध- I पर है।

(ख) : संयुक्त अरब अमीरात और अन्य पश्चिम एशियाई देशों में शिपमेंट के लिए राइपेनिंग चेंबर, प्री - कूलिंग सुविधाओं और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं युक्त पंजीकृत पैकहाउसों द्वारा आम को संसाधित किया जाता है । इन गंतव्यों के आमों को 12 डिग्री सेल्सियस के अपेक्षित तापमान वाले प्रशीतित कंटेनरों में निर्यात किया जाता है । उद्योग से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, समुद्री शिपमेंट के लिए प्रशीतित कंटेनरों की उपलब्धता की कोई कमी

नहीं है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूरस्थ गंतव्यों के लिए, आम का निर्यात वायुयान द्वारा किया जाता है, जिससे दो दिनों में बाजार तक पहुंच जाता है । प्रशीतित वैन द्वारा आमों के निर्यात की सुविधा के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) , अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के बुनियादी ढांचे के विकास घटक के तहत, इनस्यूलेटेड / रीफर परिवहन / मोबाइल प्री कूलिंग इकाइयों की खरीद के लिए 100 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन लागत का 40% तक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत रीफर परिवहन वाहनों के लिए भी सहायता उपलब्ध है ।

(ग) : वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन एपीडा को आम का निर्यात प्रोत्साहन करने के लिए अधिदेशित किया गया है । इस कारण, आम बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी हां । वर्ष 2018 के दौरान, एपीडा ने आयातक देशों में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए हैं:

दिनांक	स्थान और देश	कार्यक्रम
1 - 2 जून, 2018	अलमाटी , कजाकिस्तान	खुदरा श्रृंखलाओं की 6 दुकानों में इन-स्टोर प्रचार सहित क्रेता विक्रेता बैठकें
4 जून, 2018	अस्ताना, कजाकिस्तान	रिटेल चेन के 5 स्टोरों में इन-स्टोर प्रमोशन
27 - 29 जून, 2018	गुआंगज़ौ, चीन	इंटरनेशनल फूड एक्सपो 2018
2 , 9 और 16 जून, 2018	बुसान , दक्षिण कोरिया	2018 मैंगो प्रमोशनल इवेंट्स

(ड.) : आम जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है । भारत ने कई देशों अर्थात अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, इज़राइल, मलावी, पेरू, रूस, सर्बिया, उरुग्वे और उज्बेकिस्तान के साथ आम के लिए बाजार पहुंच अनुरोध प्रस्तुत किए हैं । शुरू की गई नई कृषि निर्यात नीति के तहत, आम के निर्यात-उन्मुख उत्पादन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में क्लस्टरों की पहचान की गई है । आम के निर्यात पर 7% का एमईआईएस उपलब्ध है । एपीडा भी निर्यात प्रोत्साहन योजना के विभिन्न घटकों के तहत आम के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है ।

बागावानी क्षेत्र, जिसमें फल (आम सहित), सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं, के समग्र विकास के लिए कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू की जा रही है । सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश एमआईडीएच के अंतर्गत आते हैं । एमआईडीएच के तहत, आम सहित नाशवान बागवानी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज, राइपेनिंग चैम्बर्स और रीफर ट्रांसपोर्ट वाहनों की स्थापना के लिए क्रेडिट लिंक्ड सहायता प्रदान की जाती है । घटक मांग और उद्यमी चालित है और एमआईडीएच के तहत धनराशि राज्यों को वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर आवंटित की जाती हैं ।

*** ******

अनुबंध- ।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आम के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	000 मीट्रिक टन में उत्पादन			
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19 ***
1	आंध्र प्रदेश	2803.66	4043.47	4373.61	5001.74
2	अरुणाचल प्रदेश	0.03	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
3	असम	46.15	47.15	48.44	61.21
4	बिहार	1464.93	1472.38	2443.47	2434.65
5	छत्तीसगढ़	420.61	434.32	461.73	474.42
6	गुजरात	1241.59	1424.87	1207.78	1219.86
7	हरियाणा	89.97	96.79	98.60	119.32
8	हिमाचल प्रदेश	37.63	48.24	31.35	44.19
9	जम्मू और कश्मीर	23.74	24.15	30.35	30.48
10	झारखंड	393.67	438.54	435.86	432.93
1 1	कर्नाटक	1725.67	1719.73	1760.60	1866.23
12	केरल	382.52	388.14	439.20	424.75
13	मध्य प्रदेश	371.48	586.24	654.79	643.62
14	महाराष्ट्र	463.17	603.83	791.36	566.37
17	मिजोरम	4.18	4.18	4.19	4.19
18	नागालैंड	3.74	4.23	4.24	4.24
19	ओडिशा	778.72	817.91	805.77	805.77
20	पंजाब	113.50	113.69	116.52	118.76
21	राजस्थान	82.27	154.79	87.37	105.00
23	तमिलनाडू	975.11	1282.44	1234.00	1250.77
24	तेलंगाना	1778.32	482.46	1080.14	1080.13
25	त्रिपुरा	59.06	57.03	54.93	52.70
26	उत्तर प्रदेश	4512.71	4341.00	4551.83	4577.15
27	उत्तराखंड	149.73	150.14	152.71	152.89
28	पश्चिम बंगाल	693.39	736.90	918.35	844.88
29	अन्य	27.00	33.58	35.14	36.63
	कुल	**18642.53**	**19506.20**	**21822.32**	**22352.87**

* पहला अनुमान

एनआर = रिपोर्ट नहीं की गई

स्रोत: बागवानी प्रभाग, डीएसी और एफडब्ल्यू

भारत सरकार | लोक सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 56

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यातों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का योगदान

56. श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने देश से निर्यात को बढाने में योगदान दिया है;
(ख) यदि हां, तो पिछले चार वर्षों के दौरान निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर और चालू वर्ष में अब तक का ब्यौरा क्या है;
(ग) किन देशों में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात किया जा रहा है; और
(घ) प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यातकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) और (ख): जी हां । प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का भारत के समग्र कृषि उत्पाद निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है । विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात, उसकी वार्षिक वृद्धि दर का ब्यौरा अनुलग्नक - 1 में है ।

(ग) : वे शीर्ष पांच देश जहां भारत प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात , इंडोनेशिया और मलेशिया हैं ।

(घ) : देश से कृषि उत्पादों का निर्यात संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है । नई शुरू की गई कृषि निर्यात नीति में आश्वासन है कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात को किसी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों के दायरे के तहत नहीं लाया जाएगा । वाणिज्य विभाग की कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात संवर्धन के लिए व्यापार अवसरंचना निर्यात स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम, आदि जैसी कई योजनाएं हैं । भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के तहत निर्यातकों को विभिन्न मूल्यवर्धित कृषि/प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, मूल्यवर्धित कृषि/प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यातकों के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, तथा मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत भी सहायता उपलब्ध है । ये संगठन विभिन्न बाजारों में विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार पहुँच प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करके बाजार सूचना प्रसार, निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाकर भी निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं ।

*****

अनुलग्नक -I

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

मात्रा मी.टन ; मूल्य मिलियन अम.डॉ. में

उत्पाद का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (अप्रैल-दिसम्बर)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भैंस का मांस	1475540.00	4781.18	1314161.00	4068.66	1330013.00	3924.63	1348225.00	4029.88	928024.00	2779.08
मसालें	923258.39	2429.43	820649.87	2502.48	1007837.45	2890.41	1081335.87	3104.35	790017.48	2397.65
चीनी	1952703.00	870.29	3824010.00	1482.10	2545061.00	1292.09	1758036.00	811.39	2276151.00	819.30
चाय	215209.62	680.97	246850.42	719.96	244459.83	734.25	272890.64	837.32	202849.92	618.29
कॉफी	220484.67	811.93	254052.71	780.31	288163.96	843.57	317832.41	968.60	193845.33	582.98
काजू	134567.00	909.25	103130.00	768.07	92175.00	790.62	90062.00	922.42	61557.00	508.79
विविध प्रसंस्कृत मदें	एनए	457.46	एनए	442.75	एनए	458.02	एनए	574.17	एनए	482.35
प्रसंस्कृत फल और जूस	एनए	591.86	एनए	573.31	533369.85	582.39	571117.62	646.24	425210.36	466.01
तिलहन	375619.06	772.19	328316.57	459.57	308747.50	403.91	336843.87	463.90	245144.09	405.34
तैयार अनाज	305931.00	495.64	313208.00	505.84	341434.00	532.23	352478.00	552.09	253245.00	404.00
मूंगफली	708376.00	760.35	536815.00	614.81	725114.00	810.95	503155.00	524.53	357352.00	345.20
दुग्ध उत्पाद	एनए	354.65	एनए	257.58	91043.67	255.28	102312.91	303.00	125463.37	328.90
मादक पेय	एनए	369.17	एनए	309.75	232597.96	300.23	241231.46	326.85	183298.90	228.49
प्रसंस्कृत सब्जियां	एनए	282.32	एनए	258.71	193836.18	264.73	212175.40	282.85	170386.40	217.19
कोको उत्पाद	20883.80	138.90	32210.11	192.21	25634.85	162.66	29469.86	177.32	20306.16	144.81
मिल्ड उत्पाद	415690.55	166.77	415015.65	164.89	251886.54	119.92	268170.08	135.61	229174.53	114.14
भेड/बकरी उत्पाद	23614.00	135.71	21952.00	128.38	22715.00	130.59	23576.00	134.03	17346.00	97.94
खाद्य तेल	41543.00	94.46	29798.00	79.11	60925.00	117.16	37322.00	88.46	39723.00	81.22
कुक्कुट उत्पाद	एनए	106.38	एनए	117.12	एनए	79.08	एनए	85.66	एनए	72.72
गुड़	213460.00	28.09	614944.00	79.59	347662.00	42.01	123473.00	14.78	437906.00	43.76
अन्य मांस	248.00	0.41	एनए	एनए	79.00	0.14	1044.00	2.55	574.00	1.31
प्रसंस्कृत मांस	405.00	2.29	282.00	0.96	141.00	0.69	269.00	1.54	262.00	1.20
कुल		**15239.70**		**14506.16**		**14735.56**		**14987.54**		**11140.67**
वृद्धि दर (%)				**-4.81**		**1.58**		**1.71**		

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 52

दिनांक 04 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्लास्टिक निर्यात

52. श्री ए॰ अरुणमणिदेवनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2019 में भारत का 10.6 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के प्लास्टिक के निर्यात का लक्ष्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त वर्ष 2018 के दौरान भारत के प्लास्टिक निर्यात को मुख्य रूप से प्लास्टिक की कच्ची सामग्रियों की अधिक खेप और विभिन्न देशों को बुनी हुई बोरियों, प्लास्टिक चादरों, फिल्मों, प्लाट्स ऑप्टिकल वस्तुओं, लेमिनेट, डिब्बाबंदी में प्रयुक्त वस्तुओं और अपघट्य चिकित्सा मदों सहित मूल्यवर्धित प्लास्टिक उत्पादों से बढावा मिला था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) और (ख) सरकार प्लास्टिक सहित सभी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का प्लास्टिक निर्यात 8.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था । अप्रैल- दिसंबर, 2018 के दौरान प्लास्टिक और उसके उत्पादों के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28. 8% की वृद्धि हुई है ।

(भारत द्वारा प्लास्टिक और उसके उत्पादों के निर्यात में % वृद्धि)

उत्पाद क्षेत्र	**अप्रैल 17- दिसंबर 17**	**अप्रैल 18- दिसंबर 18**	**वृद्धि**
	(बिलियन अमेरिकी डॉलर)	**(बिलियन अमेरिकी डॉलर)**	**(%)**
प्लास्टिक और उसके उत्पाद	5.46	7.03	28. 8

(ग) और (घ): जी हां । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्लास्टिक के कच्चे माल, प्लास्टिक चादरें, बुनी हुई बोरियां, पैकेजिंग आइटम, ऑप्टिकल आइटम, लेमिनेट, अपघट्य चिकित्सा मदों के तहत वर्गीकृत प्लास्टिक उत्पाद के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। विवरण निम्नानुसार हैं:

	201 6 -1 7	**201 7 -1 8**	**वृद्धि**
	(मिलियन अमेरीकी डॉलर)	**(मिलियन अमेरिकी डॉलर)**	**(%)**
प्लास्टिक का कच्चा माल	2,546.66	3,272.97	28.5
प्लास्टिक शीट / फिल्म / प्लेट आदि	954.03	1,173.84	23.0
बुने हुए बोरे /एफआईबीसी	579.05	715.68	23.6
पैकेजिंग मदें	598.63	670.75	12.0
ऑप्टिकल मदें	381.75	468.17	22.6
लेमिनेट्स	154.42	174.49	13.0
मेडिकल डिस्पोजल	153.17	170.16	11.1
कुल	5,367.71	6646.06	23.8

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.49**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कॉफी का निर्यात और उत्पादन

49. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी के निर्यात ने घरेलू बाजार में कॉफी के मूल्य को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू बाजार में कॉफी की मांग और उपयोग कितना है;

(ख) क्या देश में कॉफी उत्पादन में धीरे– धीरे वृद्धि हुई है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यातित कॉफी की मात्रा और मूल्य कितना रहा है और इससे कितना राजस्व सृजित हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार जैविक कॉफी के प्रमाणीकरण के लिए सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान जैविक कॉफी की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई है; और

(ङ) क्या कॉफी बोर्ड ने 2015–16 से कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) जी नहीं । कॉफी मुख्य रूप से भारत के लिए एक निर्यातोन्मुखी वस्तु है। घरेलू बाजार में मांग/उपभोग देश के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 25% से 30% है और इसलिए इसका घरेलू बाजार में कॉफी के मूल्यों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) 2015-16 में शीर्ष पर पहुँचने के बाद कॉफी उत्पादन में गिरावट आई, लेकिन पिछले दो वर्षों से देश में कॉफी के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कॉफी का राज्यवार उत्पादन निम्नलिखित है:

(एमटी में)

राज्य	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
कर्नाटक	251520	221745	222300
केरल	69230	63265	65735
तमिलनाडु	17295	16335	17440
आंध्रप्रदेश	9200	9800	9600
ओडिशा	600	650	740

पूर्वोत्तर राज्य	155	205	185
कुल	**348000**	**312000**	**316000**

स्रोत: कॉफी बोर्ड, बेंगलुरू

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यातित कॉफी की मात्रा एवं मूल्य तथा उससे सृजित राजस्व निम्नलिखित है:

वर्ष	मात्रा (एमटी)#	मूल्य (करोड़ रूपये)
2015-16	3,10,015	5,056
2016-17	3,43,933	5,447
2017-18*	3,95,014	6,210

कुल कॉफी निर्यातों में भारतीय कॉफी का निर्यात एवं मूल्य संवर्धन के बाद आयातित कॉफी का पुनर्निर्यात शामिल है।

* जारी निर्यात परमिटों पर आधारित अनंतिम

स्रोत: कॉफी बोर्ड, बेंगलुरू

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में उत्पादित जैविक कॉफी के निर्यातों के विवरण निम्नलिखित हैं:

वर्ष	निर्यात एमटी में
2015-16	2004.07
2016-17	2224.15
2017-18	2940.00

स्रोत: राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)

भारत सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से प्रमाणन लागत के लिए 50% की दर से कॉफी बगानों के जैविक प्रमाणन के लिए वित्तीय सहायता दे रही है जो प्रति एकल ऊपजकर्ता/ऊपजकर्ता समूह अधिकतम रू.50,000/- है। ये प्रोत्साहन आरंभिक 3 वर्ष की परिवर्तन अवधि तक सीमित हैं।

(ड.) कॉफी बोर्ड ने उन कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 के लिए तदर्थ बोनस प्रदान किया है जो 31.12.2016 को सेवारत थे, जो भारत सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के विस्तार के अध्यधीन है। स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के विस्तार के लिए कोई आदेश भारत सरकार द्वारा 2015-16 के बाद से जारी नहीं किया गया है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 44**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारतीय कंपनियों के लिए डाटा–पर्याप्तता स्थिति

44. श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भारतीय कंपनियों के लिए डाटा–पर्याप्तता स्थिति के संबंध में आगे वार्ता करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ईयू, यूएस और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में सीमा पार डाटा फ्लो के संबंध में बातचीत कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत किन देशों के साथ सीमा पार डाटा फ्लो के कार्यशील तंत्र के लिए वार्ता कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) और (ख) : जी हॉ। यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ डाटा-उपयुक्तता/सुरक्षा से सम्बंधित सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना-प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) जैसे व्यापार मुद्दों का समाधान करने और भारतीय आईटी/आईटीईएस कंपनियों के लिए अर्थपूर्ण बाजार पहुंच के लिए इलेक्ट्रोनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा एक डाटा सुरक्षा विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त डाटा उपयुक्तता, डाटा के संचलन, ईयू देशों में आईटी विशेषज्ञों की मॉबिलिटी इत्यादि सहित अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एमईआईटीवाई की अगुवाई में भारत-ईयू संयुक्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कार्यदल की बैठक 20-21 मार्च, 2018 को आईसीटी व्यापार वार्त्ता और सामान्य डाटा सुरक्षा विनियमन (जीडीपीआर) पर कार्यशाला के साथ आयोजित की गई थी।

(ग),(घ) और (ड.) : फरवरी 2017 में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में 'व्यापार सुविधा करारों हेतु सेवाएं' संबंधी एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ- साथ, सेवाओं की सीमा-पार आपूर्ति संबंधी प्रतिबद्धताओं के संबंध में सूचना के सीमा-पार प्रवाह की सुविधा देने का प्रावधान भी निहित था। इसके अलावा, दिसम्बर 2017 में ग्यारहवें मंत्री स्तरीय डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक कामर्स पर डब्ल्यूटीओ कार्य योजना की पुष्टि की जिसमें समन्वेषक एवं गैर-वार्ताकारी अधिदेश है। तथापि, एमसी11 की मार्जिन पर 71 डब्ल्यूटीओ सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों ने इलेक्ट्रॉनिक कामर्स के व्यापार संबंधी पहलुओं पर भावी डब्ल्यूटीओ वार्त्ताओं की दिशा में अन्वेषी कार्य शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कामर्स पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। चूंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक कामर्स पर गैर-वार्ताकारी कार्य योजना का प्रस्तावक है, इसलिए भारत ने डब्ल्यूटीओ में सीमापारा डाटा प्रवाह पर विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया । जहॉ संगत है वहॉ इस मुद्दे पर विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वार्त्ताओं पर विचार-विमर्श किया गया ।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 21**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के मुद्दे और चुनौतियां

21. श्रीमती के. मरगथमः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक व्यापार तंत्र के समक्ष चुनौतियां आ रही है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि देश में डब्ल्यू.टी.ओ. और वैश्विक व्यापार तंत्र में पहली बार वास्तविक चुनौती देखी गई है;
(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कुछ और देश इसमें बाधाएं उत्पन्न कर रहे है और यह वास्तविक मुद्दा बन रहा है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार डब्ल्यू.टी.ओ. के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के साथ भी वार्ता कर रही है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) से (घ) : विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक व्यापार तंत्र एकपक्षीय उपायों और कुछ सदस्यों द्वारा प्रतिकारी उपायों, वार्त्ता के प्रमुख क्षेत्रों में रूकावट और डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति में गतिरोध के रूप में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों से सदस्यों के बीच डब्ल्यूटीओ में सुधार पर विचार-विमर्श की आवश्यकता महसूस हुई जिससे डब्ल्यूटीओ नियमों एवं प्रक्रियाओं में कमी को पूरा किया जा सके। भारत, बहुपक्षीय व्यापार तंत्र का प्रबल समर्थक होने के नाते, डब्ल्यूटीओ में सुधारों का समर्थन करता है, बशर्ते कि प्रक्रिया समावेशी हो और विकासशील एवं अल्प विकासशील देशों के विकास संबंधी मुद्दों का समाधान करती हो।

(ड.) जी हॉ। डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय सदस्यों के चयन के मामले में गतिरोध बना है। डब्ल्यूटीओ का सुदृढ़ विवाद निपटान तंत्र सुनिश्चित करता है कि फोरम में सहमत विश्व व्यापार के नियमों का सदस्यों द्वारा उल्लंघन न हो। भारत डब्ल्यूटीओ में इस बात को आगे बढ़ाने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ अग्रसर है। भारत ने हाल ही में विभिन्न चुनौतियों का निपटान करने वाले विवाद निपटान तंत्र में सुधारों पर यूरोपीय संघ और अन्य सदस्यों के प्रस्तावों को सह-प्रायोजित किया है। इस प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ साथ, समय सीमा संबंधी विभिन्न अनिवार्य मुद्दों, अपीलीय निकाय सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया, उनकी पदावधि और अन्य शर्तों का समाधान किया गया है ताकि अपीलीय निकाय और विवाद निपटान तंत्र अधिक दक्षता से कार्य कर सकें।

***

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 18**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अंगूरों का निर्यात

18. श्री एस॰ राजेन्द्रनः
श्री टी॰ राधकृष्णनः
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री एस॰ आर॰ विजय कुमारः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए अंगूर और इसके उत्पादों, मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या महाराष्ट्र क्षेत्र सहित देश के अंगूर उत्पादकों और निर्यातकों को अंगूरों के निर्यात में भारी हानि हुई है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अंगूर उत्पादकों के लिए कोई राहत उपायों का विचार है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का नए क्षेत्रों/देशों को भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करके योजना तैयार करने का विचार है;
(ङ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा देश से अंगूर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए अंगूर एवं इसके उत्पादों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

मात्रा मी.टन में, मूल्य अम.डॉ.मिलियन में

	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19(अप्रैल-नवंबर)	
उत्पाद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजा अंगूर	132647.60	203.16	198471.30	268.29	188221.18	294.59	40581.92	52.35
किशमिश (सूखे अंगूर)	26825.10	31.16	30859.09	40.22	25259.51	37.05	14919.15	30.79
अन्य सूखे अंगूर	1556.34	1.57	1786.47	2.18	959.90	1.12	568.32	0.67
कुल	161029.04	235.89	231116.86	310.69	214440.59	332.76	56069.39	83.81

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

(ख): सरकार को अंगूर उत्पादकों एवं निर्यातकों को पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान अंगूरों के निर्यात पर भारी हानि होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): उपरोक्त(ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) : कृषि उत्पादों जैसे अंगूरों के निर्यात का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत ने कई देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, मालावी, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूएसए और वियतनाम के समक्ष अंगूरों के लिए बाजार पहुँच का अनुरोध किया हैं। नई शुरू की गई कृषि निर्यात नीति के तहत महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और सांगली जिलों को अंगूरों के निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। अंगूरों के निर्यात पर 7% एमईआईएस उपलब्ध है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संस्थान "कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण" (एपीडा) को अंगूरों के निर्यात संवर्धन का कार्य सौंपा गया है। एपीडा ने ग्रेपनेट कार्यान्वित की जो निर्यातकों के परामर्श से एनआरसी,पुणे द्वारा अभिज्ञात मानकों के अनुपालन में पणधारियों को निर्यात के लिए अंगूरों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए दी गई वेब-आधारित सेवा है। ग्रेपनेट भारत में अंगूर आपूर्ति श्रृंखला के भीतर पणधारियों यथा निर्यातकों, प्रयोगशालाओं एवं पीएससी प्राधिकारियों द्वारा प्रविष्ट किए गए अग्र एवं पश्च ट्रेसेज और गुणवत्ता आश्वासन आंकड़ों को इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है और रिपोर्ट देता है। इसके अलावा, एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत अंगूर निर्यातकों को सहायता उपलब्ध करा रहा है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 17**

दिनांक 4 फरपरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

ई॰सी॰जी॰सी॰ में पूंजी निवेश

17. डॉ॰ के॰ गोपालः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2017 से 2020 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ई॰सी॰जी॰सी॰) में निवेश किए जाने के लिए 2000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश अनुमोदित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निवेश एम॰एस॰एम॰ई॰ निर्यातों की बीमा कवरेज बढ़ाएगा और उभरते और चुनौती वाले बाजारों जैसे कि अफ्रीका, सीआईएस और लेटिन अमरीकी देशों को भारत के निर्यात को मजबूत बनाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या निर्यातकों को ई॰सी॰जी॰सी॰ इसकी उत्पाद निवेश सूची को विपथित करने और मूल्य प्रभावी बीमा प्रदान करने में बढ़ा हुआ पूंजी निवेश भी सहयोग प्रदान करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : जी हॉ । भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निर्मुक्त करने के लिए 2,000 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश का अनुमोदन किया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18	रू. 50 करोड़; जारी किए गए
वित्तीय वर्ष 2018-19	रू. 500 करोड़; जारी किए गए
वित्तीय वर्ष 2019-20	रू.1450 करोड़ रूपये की बाकी राशि को जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और निधियों की उपलब्धता के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(ख) जी हॉ। एमएसएमई निर्यातों और चुनौती वाले एवं उभरते बाजारों जैसे अफ्रीका, सीआईएस और लैटिन अमेरिकी देशों में निर्यात को सहायता देने के लिए ईसीजीसी की जोखिम अंकन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए पूंजी निवेश आवश्यक है।

(ग) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, ईसीजीसी ने 6.41 लाख करोड़ रूपये के निर्यातों एवं निर्यात ऋणों का समर्थन किया। ईसीजीसी द्वारा कवर लगभग 20,000 विशिष्ट निर्यातकों को लाभ पहुँचा। इसमें से एमएसएमई का अंश 85% से ज्यादा था।

(घ) जी हॉ । वर्धित पूंजी से ईसीजीसी अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने जैसे एमएसएमई निर्यातकों को सुविधा देने और चुनौती वाले एवं उभरते बाजारों जैसे अफ्रीका, सीआईएस और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए अधिक उदार जोखिम-अंकन दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम होगी। वर्धित पूंजी से निर्यातकों के लिए लागत प्रभावी ऋण बीमा को जारी रखने में भी मदद मिलेगी।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 11**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

इलायची का उत्पादन, निर्यात और आयात

11. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़ः
श्री वी॰ पन्नीरसेलवमः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इलायची के कुल उत्पादन, निर्यात, निर्यातित और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में इलायची की कीमतों में भारी गिरावट के कारण इलायची किसानों की परेशानी को संज्ञान में लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इलायची उत्पादकों के हितों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(घ) पड़ोसी देशों से घरेलू बाजार में इलायची के अवैध व्यापार को रोकने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इलायची के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादित, निर्यातित एवं आयातित कुल इलायची का ब्यौरा पृष्ठ संख्या 2 पर सारणी में दिया गया है।

इलायची का उत्पादन, निर्यात एवं आयात						
			निर्यात		आयात	
मसाले	वर्ष	उत्पादन (टन)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रू. में)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रू. में)
इलायची (छोटी)	2015-16	23,890	5,500	449.83	850	44.74
	2016-17	17,990	3,850	421.50	1720	88.70
	2017-18	20,650	5,680	609.08	685	43.79
	2018-19(*)	12,950	2,250	242.50	353	28.24
इलायची (बड़ी)	2015-16	5,315	600	75.51	3410	307.95
	2016-17	5570	780	82.65	3120	242.42
	2017-18	5,905	760	56.47	5,670	331.09
	2018-19(*)	6,038	585	34.63	2,270	119.86

स्रोत : उत्पादन : मसाला बोर्ड का आकलन
निर्यात/आयात : डीजीसीआई एंड एस कोलकाता/निर्यातक रिटर्न/डीएलई/कस्टम से डीएलआई
(*) उत्पादन : प्रारंभिक आकलन ; निर्यात /आयात – अप्रैल 18-अक्टूबर, 18 की अवधि के लिए आकलन

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची (छोटी) का मूल्य अस्थिर प्रवृत्ति दर्शा रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में मूल्य में बढ़ती प्रवृत्ति पाई गई। तथापि इलायची (बड़ी) का मूल्य वर्ष 2015-16 से घरेलू बाजार में घटती प्रवृत्ति दर्शा रहा है। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में भारत में इलायची (छोटी) का भारित औसत नीलामी मूल्य और गंगटोक में इलायची (बड़ी) का औसत घरेलू मूल्य नीचे दिया गया है:-

फसल वर्ष	इलायची (छोटी) का भारित औसत नीलामी कीमत
2015-16	628.64
2016-17	1088.50
2017-18	955.82
2018-19 (अगस्त-दिसंबर) (अनंतिम)	1246.23

स्रोत : लाइसेंसधारक इलायची नीलामीकर्त्ताओं से प्राप्त रिपोर्ट

वर्ष	गंगटोक बाजार में इलायची (बड़ी) की औसत घरेलू कीमत
2015-16	1470.91
2016-17	973.94
2017-18	599.70
2018-19 (अप्रैल-दिसंबर)	542.08

स्रोत : मसाला बोर्ड, गंगटोक

(ग) से (ड.) केन्द्रीय सरकार मसालों में निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता सुधार करने और इलायची के अनुसंधान और विकास की समेकित स्कीम के तहत इलायची किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिसमें उपजकर्त्ताओं के खेतों में गुणवतापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन के जरिए इलायची का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, पुराने, जीर्ण और अलाभकारी बागानों में पुनर्रोपण, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड में इलायची (बड़ी) का नया रोपण, श्रमिक समस्या से निपटने और उत्पादन लागत कम करने के लिए फार्म मशीनीकरण हेतु सहायता, उत्पादकों को उच्च मूल्य देने के लिए इलायची की गुणवत्ता में सुधार के लिए इलायची (छोटी) उत्पादकों को बेहतर कृषि पद्धति (जीएपी) किटों की आपूर्ति, इलायची की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक उपाय, बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सांझा प्रसंस्करण,मूल्य वृद्धि, सीधे विपणन इत्यादि के लिए मसाला उत्पादक समितियों के सृजन को प्रोत्साहित करके किसानों का समूह बनाना, उत्पादकों के लिए पारदर्शिता और इलायची का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इलायची (छोटी) हेतु ई-नीलामी केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है।

इसके अलावा, घरेलू इलायची उद्योग के हितों की रक्षा करने तथा अन्य स्रोतों से निम्न गुणवत्ता की इलायची के आयात को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दिनांक 6 फरवरी, 2015 की अधिसूचना के जरिए इलायची का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 500 रूपये प्रति किग्रा, नियत किया क्योंकि इलायची (छोटी) के मूल्य में भारी गिरावट थी।

इलायची एवं अन्य मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में मसाला पार्कों में सांझा प्रसंस्करण सुविधाओं हेतु अवसंरचना विकास करना, मसाला प्रसंस्करण में हाई-टेक अपनाना, प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रिया उन्नयन करना, इन हाऊस गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करना, विदेशी बाजारों का अध्ययन, उत्पाद विकास एवं अनुसंधान, उपभोक्ता देशों की गुणवत्ता विनिर्दिष्टिताओं को पूरा करने के लिए निर्यात से पहले विश्लेषणात्मक जॉच, मसालों में फसलोपरांत गुणवत्ता सुधार के लिए किसानों को सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी सहित व्यापार संवर्धन कार्यकलाप, भारतीय मसाला ब्रांडों का संवर्धन,बेहतर कृषि पद्धतियों के लिए पणधारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 08**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 **को उत्तर दिये जाने के लिए**

विशेष आर्थिक जोन

*8. श्री राम टहल चौधरीः
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 23 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का स्थान–वार ब्यौरा क्या है और उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये ये एसईजेड कार्यरत हैं;
(ख) उक्त एसईजेड में से उन एसईजेड का स्थान–वार ब्यौरा क्या है जो विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;
(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन एसईजेड के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा की गई उक्त कार्रवाई का परिणाम क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (घ.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री राम टहल चौधरी और श्री हरीश चंद्र चव्हाण द्वारा दिनांक 04.02.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 08 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक में उल्लिखित विवरण

(क) एसईजेड अधिनियम, 2005 के लागू होने से पूर्व देश में स्थापित केन्द्रीय सरकार के सात विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और ग्यारह राज्य/निजी क्षेत्रों के एसईजेड के अतिरिक्त वर्तमान में, 421 एसईजेड की स्थापना को औपचारिक अनुमोदन दिया गया है । 421 अनुमोदित एसईजेडों में से 355 एसईजेडों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 231 एसईजेड प्रचालनशील हैं । 231 प्रचालनशील एसईजेडों का स्थान -वार विवरण अनुबंध - । पर दिया गया है ।

(ख) से (घ) एसईजेड़ अधिनियम/नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए एसईजेडों का विवरण, सरकार द्वारा उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई और की गई कार्रवाई के परिणाम अनुबंध - 2 पर दिए गए हैं ।

4 फरवरी, 2019 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं 08 के लिए अनुबंध- I

231 प्रचालनशील विशेष आर्थिक क्षेत्रों का स्थान वार विवरण				
क्र. सं.	राज्य वार क्रम सं.	विकासकर्ता का नाम	स्थान	एसई जेड का प्रकार
		आंध्र प्रदेश		
1	1	विशाखापत्तनम, विशेष आर्थिक क्षेत्र	विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	बहु उत्पाद
2	2	दिवीस लेबोरेटरीज लि0	चिप्पादा गाँव, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	औषधीय
3	3	अपाची एसईजेड डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मंडल टाडा, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	फुटवेयर
4	4	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्परेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी)	मधुरावाड़ा ग्राम, विशाखापत्तनम ग्रामीण मंडल, आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस
5	5	हेटेरो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड	नक्कापल्ली मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश	औषधीय
6	6	ऐस अर्बन हाईटेक सिटी लिमिटेड	केसरपल्ली गाँव, गन्नवरम मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	आईटीईएस
7	7	ब्रैंडिक्स इंडिया अपेरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड	विशाखापत्तनम जिले, आंध्र प्रदेश में डुप्टीटरु, पोट्टुपालम मार्चर और गुरुजापलेन गाँव	वस्त्र
8	8	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी)	अच्युतपुरम और रामबिल्ली मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश	बहु - उत्पाद
9	9	काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड -1 (काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड- 2 मर्ज पत्र दिनांक 13.01.2016) के द्वारा केएसईजेड -1 का विलयन)	रमनक्कापेटा और ए वी नागाराम विकल्लेजिस , पूर्वी गोदावरी जिला, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	बहु - उत्पाद
10	10	राम की फार्मा सिटी (इंडिया) प्रा0लिमिटेड	ई-बोनांगी विलेज, परवाड़ा मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश	औषधीय
1 1	1 1	श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड	चेंगंबक्कम, अप्पैयापालम, मोलावरिपालेम, मल्लावरिपाल्यम, अरूर, सत्यवेदु में मोपोरापल्ले और बरदैय्या पलेग , मंडल्स आंध्र प्रदेश,	बहु - उत्पाद
12	12	मास फैब्रिक पार्क (भारत) प्रा0 लिमिटेड	चिंतवराम गाँव, चिल्लाक्रू मंडल, नैल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	वस्त्र एवं परिधान
13	13	पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	वाकलपुड़ी गांव, काकीनाडा ग्रामीण मंडल, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	खाद्य प्रसंस्करण
14	14	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्परेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी)	सर्पवरम वुल्लेज, काकीनाडा ग्रामीण पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस
15	15	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्परेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी)	ग्राम, द्वारिकापुरम और पालिपोलम, मण्डल-नाइडूपीटा और पेल्लकुरु, जिला- नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	बहु - उत्पाद
16	16	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एसईजेड लि0	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	चमड़ा क्षेत्र
17	17	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्परेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी)	ग्राम अन्नंगी और बोडुवनिपालम, मंडल मद्दीपडु और कोरिसपादु, जिला प्रकाशन, आंध्र प्रदेश	निर्माण उत्पाद
18	18	डॉ0 रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड	ग्राम देवुनीपालवलासा, मंडल रणस्थलम्, जिला श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश।	औषधीय
19	19	इफको किसान एसईजेड लिमिटेड	ग्राम रेगाडीचेलिका, राचर्लापडु, चौडुपुट्टेदु, उचागुंटपतेम, उत्तर अम्मुलुरु, मंडल कोडावलुरु, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	बहु - उत्पाद
		चंडीगढ़		
20	1	चंडीगढ़ प्रशासन	चंडीगढ़	इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आईटी/आईटीईएस
21	2	चंडीगढ़ प्रशासन	चंडीगढ़	आईटी/आईटीईएस
		छत्तीसगढ		
22	1	लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड	महरूमकला, महरूमकुर्ड और चवेली गाँव, राजनादगाँव जिला, छत्तीसगढ़	सौर
		गुजरात		
23	1	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र	कांडला, गुजरात	बहु - उत्पाद
24	2	सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र	सूरत, गुजरात	बहु - उत्पाद

25	3	सूरत अपैरल पार्क	सूरत, गुजरात	वस्त्र
26	4	रिलायंस जामनगर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	जामनगर, गुजरात	बहु - उत्पाद
27	5	जीडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम – मटोदा, सारी और चचनवाडी वस्ना एनएच 8-ए, तालुक - साणंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात	औषधीय
28	6	गुजरात औद्योगिक विकास निगम	गांधीनगर इलेक्ट्रॉनिक एस्टेट, गुजरात	आईटी/आईटीईएस
29	7	दहेज सेज लिमिटेड	तलुके वागरा, जिला भरूच, गुजरात	बहु - उत्पाद
30	8	गुजरात औद्योगिक विकास निगम	अहमदाबाद, गुजरात	वस्त्र और वस्त्र सामग्री
31	9	गणेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम छारोड़ी तालुक दस्क्रोई , जिला अहमदाबाद, गुजरात	आईटी/आईटीईएस
32	10	एस्पेनपार्क इंफ्रा वडोदरा प्राइवेट लिमिटेड (एआईवीपीएल)	तालुक वाघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात	हाईटैक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबंधित सेवाएं
33	1 1	ई कॉम्प्लेक्स प्रा0 लिमिटेड	गाँव रामपरा- II, तालुक: राजुला और गाँव लंसापुर, तालुक: जाफराबाद, जिला: आमेली , गुजरात	इंजीनियरिंग उत्पाद
34	12	स्टर्लिंग विशेष आर्थिक क्षेत्र और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	जंबूसर, जिला भरूच, गुजरात	बहु - उत्पाद
35	13	जुबलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	ग्राम विलायत और वोरासमनी, तालुक वागरा, जिला भरूच, गुजरात	रसायन
36	14	एक्वालाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम कोबा, जिला गांधीनगर, गुजरात	आईटी/आईटीईएस
37	15	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	गांधीनगर, गुजरात	आईटी/आईटीईएस
38	16	लार्सेन एंड टब्रो लि0	गाँव अंकहोल और बापोड़, तालुक वड़ोदरा, जिला-वडोदरा, गुजरात	आईटी/आईटीईएस
39	17	यूरो मल्टीविजन लिमिटेड	जिला कच्छ, गुजरात	सौर ऊर्जा उपकरणों/सैल सहित गैर - परम्परागत ऊर्जा
40	18	कैलिका कंस्ट्रक्शन एंड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम ओगनाज, तालुक दस्क्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात	आईटी/आईटीईएस
41	19	अदानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र	ग्राम मुंद्रा, तालुक मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	बहु - उत्पाद
42	20	गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड	ग्राम फ़िरोज़पुर और रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात	बहु - सेवाएं
		हरियाणा		
43	1	डीएलएफ लि0	ग्राम सिलोखेरा, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा	आईटी/आईटीईएस
44	2	डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड	गुड़गांव, हरियाणा	आईटी/आईटीईएस
45	3	जीटीवी टेक एसईजेड प्रा0 लिमिटेड (पूर्व डॉ0 फ्रेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड)	ग्राम घमरोज, तहसील-सोहना, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा	आईटी/आईटीईएस
46	4	गुड़गांव इन्फोसिस लिमिटेड	ग्राम डूंडाहेरा, जिला गुड़गांव, हरियाणा	आईटी/आईटीईएस
47	5	एएसएफ इन्सानिया एसईजेड प्रा0लि0 .	ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला- गुड़गांव, हरियाणा	आईटी/आईटीईएस
48	6	कोंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लिमिटेड	ग्राम टिकरी, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा	आईटी/आईटीईएस
		केरल		
49	1	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	कोचीन, केरल	आईटी/आईटीईएस
50	2	इंफो पार्क	कक्कनाड, एर्नाकुलम, केरल	आईटी/आईटीईएस
51	3	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	वलापदोम, मुलवुकाडु / फोर्ट कोच्चि विलेज, एर्नाकुलम जिला, केरल	बंदरगाह आधारित
52	4	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	पुथुवयपीन एरनाकुलम जिला, केरल	बंदरगाह आधारित

53	5	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क-केरल	तिरुवंतपुरम, केरल	आईटी/आईटीईएस
54	6	इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क-केरल	अत्तिपुरा ग्राम तालुक और जिला तिरुवंतपुरम, केरल	आईटी/आईटीईएस
55	7	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए)	अयिरूपारा और काजाकुट्टम विलेज, त्रिवेंद्रम जिला, केरल	एनीमेशन और गोमिंग
56	8	केरल औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए)	चेलेम्ब्रा ग्राम, थिरुरांगडी तालुक, मलप्पुरम जिला, केरल	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण
57	9	केरल औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए)	थ्रीक्काकारा गाँव, कन्ननूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल	इलैक्ट्रॉनिक उद्योग
58	10	केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना लिमिटेड	पल्लीपुरम ग्राम, चेरतला तालुक, अलाप्पुझा जिला केरल।	आईटी/आईटीईएस
59	1 1	कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड	ग्राम थ्रिक्करा उत्तर, तालुक कन्ननूर, जिला एर्नाकुलम, केरल	सौर फोटोबोस्टिक
60	12	केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	ग्राम मुलवाना, जिला कोल्लम, केरल	आईटी/आईटीईएस
61	13	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी पार्क-केरल (टेक्नोपार्क)	ग्राम अटिप्रा, तालुक और जिला तिरुवनंतपुरम, केरल।	आईटी/आईटीईएस
62	14	यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (यूएलसीसीएस लि0)	नेल्लिकोड गांव, कोझीकोड जिला, केरल	आईटी/आईटीईएस
63	15	सदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम थ्रिक्करा उत्तर, तालुक कन्यानूर , जिला एर्नाकुलम, केरल	आईटी/आईटीईएस
64	16	स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	ग्राम कक्कनाड, तालुका कन्यानूर , जिला एर्नाकुलम, केरल	आईटी/आईटीईएस
65	17	इन्फोपार्क केरल	ग्राम पुथैक्रूज़ और कुन्नाथुनाडु, तालुक कुन्नाथुनाडु, जिला एर्नाकुलम, केरल	आईटी/आईटीईएस
66	18	केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल)	गाँव पंथीरंकवु और नेल्लिकोड, तालुका कोझिकोड, जिला कोझीकोड, केरल।	आईटी/आईटीईएस
67	19	केरल स्टेट आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल)	ग्राम मुरींगुर - थेकुमुरी, मुकुंदपुरम तालुक, कोराट्टी पंचायत, थ्रिसूर जिला, केरल	आईटी/आईटीईएस
		कर्नाटक		
68	1	विप्रो लिमिटेड	डोड्डाठोगुर गाँव, बेगुर होबली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बंगलौर, कर्नाटक	आई टी
69	2	विप्रो लिमिटेड	डोड्डाकनेली गाँव, वरथुर होबली, सरजापुर रोड, बेंगलुरू , कर्नाटक	आई टी
70	3	बायोकॉन लिमिटेड	अनेकेल तालुक, बेंगलुरू , कर्नाटक	जैव - प्रौद्योगिकी
71	4	विकास टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	आउटर रिंग रोड, देवरबिसनहल्ली गाँव, वरथुर होबनिक , बेंगलुरू ईस्ट तालुक, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
72	5	आरएमजेड इको वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0	देवाराबिसनहल्ली, भोगनाहल्ली और डोड्डाकनहल्ली, बेंगलुरू , कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
73	6	टैंगलिन डेवलपमेंट लिमिटेड	ग्लोबल विलेज 'पैटेन्जेरे / मायलासेंड्रा गांव, ऑफ मैसूर रोड, आरवीसीई पोस्ट, बेंगलुरू कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
74	7	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	ग्राम पेरूमेनहल्ली , कोकणगट्टा, सुमुद्रा वैली, हमुमंथपुरा, तालुक हसन, कर्नाटक	वस्त्र
75	8	श्यामाराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्रा0 लिमिटेड	कुण्डलहल्ली गाँव, कृष्णराजपुरम होबली, बैंगलोर पूर्व तालुक, जिला बेंगलुरू , कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस सक्षम सेवाएं
76	9	सेसना बिजनेस पार्क प्रा0 लिमिटेड	कडूबेसनहल्ली विल्ल, वरथुर होबली, जिला बेंगलुरू , कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
77	10	मान्यता दूतावास बिजनेस पार्क	राचेनहल्ली और नागवारा गांव बेंगलुरू जिला, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
78	1 1	एचसीएल प्रौद्योगिकी लि0	जिगानी इंडस्ट्रियल एरिया, अटेलीबेल तालुक, बैंगलोर, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
79	12	सूचना प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	सदरमंगला और पटनंदूर अग्रहारा गांव, व्हाइटफील्ड रोड, जिला बेंगलुरू , कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
80	13	इंफोसिस लिमिटेड	हेब्बल औद्योगिक क्षेत्र, जिला मैसूर, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस

81	14	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	हेब्बल औद्योगिक क्षेत्र, जिला मैसूर, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
82	15	प्रिटेक पार्क	बेलंदूर गाँव, वरथुर होबली, पूर्वी बेंगलुरू तालुक, बेंगलुरू अर्बन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
83	16	एस्पेन इंफ्रा पदुबिद्री प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीपीएल)	नादसालु, नंदिकूरु, पोलिमारु और हेजामाडी गाँव उडुपी तालुक, कर्नाटक	इंजीनियरिंग
84	17	मैंगलोर सेज लिमिटेड	मंगलौर, के पास बैकमपैडि दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक	बहु - उत्पाद
85	18	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	जिला हसन, कर्नाटक	औषधीय
86	19	बेगमेन कंस्ट्रक्शन प्रा0 लिमिटेड	महादेवपुर, के आर पुरम, उत्तरी बेंगलुरू , कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
87	20	क्वेस्ट एसईजेड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	हाटार्गी और मस्तीहोली गाँव, हुक्केरी तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	परिशुद्ध इंजीनियरिंग उत्पाद
88	21	करले इंफ्रा प्रा0 लिमिटेड	नागवारा गाँव, उत्तरी बैंगलोर तालुका, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
89	22	गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम महादेवपुरा और कगदासपुरा, के आर पुरम, व्हाइटफील्ड बेंगलुरू , कर्नाटक।	आईटी/आईटीईएस
90	23	कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केईओएनआईसीएस)	गाँव मछलीनाहल्ली और निदिगे, जिला शिमोगा, कर्नाटक	इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर आईटी/आईटीईएस
91	24	लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड	केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, तालुक हेबेल-हूटागली, जिला मैसूर, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
92	25	माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	गाँव चोकानहल्ली, तालुक येलहंका हुबली उत्तरी बेंगलुरू , कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
93	26	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	ग्राम भत्रामारनहल्ली कावडडसनहल्ली, दुम्मनहल्ली, तालुकास उत्तरी बेंगलुरू और देवनाहली, जिला बैंगलोर, कर्नाटक	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उद्योग
94	27	विप्रो लिमिटेड	गाँव कोदठी, वरथुर होबली, सरजापुर रोड, जिला बैंगलोर, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
95	28	इंफोसिस लिमिटेड	गोकुल ग्राम, हुबली की सीमा के भीतर, हुबली तालुक, जिला धारवर्ड, एयरपोर्ट हुबली, के पास कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
96	29	अमीन प्रोपर्टीज एलएलपी	पुजनाहल्ली गाँव, देवनहल्ली तालुक, बेंगलुरू , कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
97	30	बागमेन डेवलपर प्रा0लि0	आउटर रिंग रोड, डोड्डनेकुंडी सर्कल, मराथल्ली पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
98	31	आरजीए इन्फ्रास्ट्रक्चर	एसवाई नंबर 31/1, चिक्कनकांल्ली गांव, वरथुर होबली, पूर्वी बेंगलुरू तालुक, बेंगलुरू , कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस
		महाराष्ट्र		
99	1	सीप्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र	मुंबई, महाराष्ट्र	बहु - उत्पाद
100	2	सीरम बायो-फार्मा पार्क	पुणे, महाराष्ट्र	औषधीय और जैव प्रौद्योगिकी
101	3	ईओएन खराड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
102	4	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	शेंद्रे औद्योगिक क्षेत्र, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	इंजीनियरयरिंग एवं इलैक्ट्रानिक
103	5	विप्रो लिमिटेड	हिंजवड़ी जिला, पुणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
104	6	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	ग्राम कृष्णूर, तालुका नायगाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	औषधीय
105	7	सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	तलवाडे सॉफ्टवेयर पार्क, जिला पुणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
106	8	मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम फुर्सुंगी, तालुक हवेली, पुणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
107	9	एचजीपी कम्युनिटी प्रा0 लिमिटेड	ग्राम पवई, जिला मुंबई, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
108	10	वॉकहार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	शेंद्रे फाइव स्टार औद्योगिक एरेस, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र	औषधीय
109	1 1	इंफोसिस टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज -II, गांव मान, ताल मुलशी, महाराष्ट्र राज्य में जिला पुणे	आईटी/आईटीईएस

110	12	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)	नागपुर (एमआईएचएएन), जिला नागपुर, महाराष्ट्र	बहु - उत्पाद
111	13	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमआईडीसी)	राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिन्जावाडी, चरण- III, जिला पुणे, महराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
112	14	मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लि0	मगरपट्टा शहर, ग्राम हड़पसर, तालुका, हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
113	15	क्वाड्रोन बिजनेस पार्क प्रा0लिमिटेड	प्लॉट नंबर 28, एमआईडीसी , राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, चरण- II, जिला-पुणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
114	16	क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्रा0 लि 0	गाँव- हिन्जावाड़ी, तालुक- मुलशी, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
115	17	सीरीन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	कलवा ट्रांस ठाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, जिला ठाणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
116	18	पुणे एम्बेसी इंडिया प्रा0 लि 0	प्लॉट नंबर 3, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज II, ग्राम मारुंजी, तालुक मुसली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
117	19	सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड	गाँव मुलुंड, तालुक कुर्ला, जिला मुंबई उपनगर और गाँव कोपरी, तालुका ठाणे, जिला ठाणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
118	20	वर्धा पावर कंपनी प्रा0 लिमिटेड	प्लॉट नंबर बी-2, एमआईडीसी , वरोरा ग्रोथ सेंटर, वरोरा, जिला- चंद्रपुर, महाराष्ट्र	ऊर्जा क्षेत्र
119	21	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	केसुरदे गाँव, सतारा जिला, महाराष्ट्र	इंजीनियरिंग
120	22	परसीपिना डेवलपर्स प्रा0 लिमिटेड (पीडीपीएल)	ग्राम भोकरपाड़ा, पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
121	23	अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड	ग्राम साईं तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	एफटीडब्ल्यूजेड
122	24	इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	मुसलगांव और गुलवंच, तालुक सिन्नर, जिला नासिक, महाराष्ट्र	बहु - उत्पाद
123	25	खेड़ इकोनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम केंदुर, तालुका शिरूर और गाँव नीमगाँव, दाऊदी, कन्हेसर तालुका खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बहु - उत्पाद
124	26	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	ग्राम सुरदी और नांदल, तालुका फल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र	इंजिनियरिंग
125	27	गिगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	गाँव ऐरोली और दीघे, जिला ठाणे, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
126	28	आईगेट ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड	प्लॉट नंबर आईटी -3, आईटी -4, ऐरोली नॉलेज पार्क, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी , नवी मुंबई, महाराष्ट्र	आईटीईएस सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
127	29	औरम प्लाट्ज आईटी प्रा0 लिमिटेड (पूर्व लोया डेवलपर्स आईटीपार्क डेवलपर्स प्रा. लि.)	जी -4 / 1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घनसोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस
128	30	ईओएन खराड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (चरण- II)	सर्वेक्षण नंबर 7, हिस्सा नंबर 2/1, ग्राम खराड़ी, पुणे - 411014	आईटी/आईटीईएस
		मध्य प्रदेश		
129	1	इंदौर सेज	सेक्टर -3, पीतमपुर जिला धार (मप्र)	बहु - उत्पाद
130	2	क्रिस्टल आईटी पार्क एसईजेड (एमपी औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड)	इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी/आईटीईएस सक्षम सेवाएं
131	3	इम्पीटस इन्फोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम बदियाकिमा जिला इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी/आईटीईएस
132	4	इंफोसिस लि0	ग्राम तिगरीया बादशाह, इंदौर, मध्य प्रदेश	आई टी
133	5	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	गाँव बडा बांगरदा और तिगरिया बादशाह, मध्य प्रदेश	आईटी/आईटीईएस बीपीओ/केपीओ
		ओडिशा		
134	1	ओडिशा औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (आईडीसीओ)	चंदका औद्योगिक एस्टेट, पीएस चंद्रशेखरपुर, तहसील भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, ओडिशा	आईटी/आईटीईएस
135	2	वेदांत एल्युमीनियम लिमिटेड	बुंदामल और कुरेबगा विलेज, तहसील और जिला - झारसुगुड़ा, ओडिशा	एल्यूमीनियम का विनिर्माण एवं निर्यात
136	3	सराफ एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड	छतरपुर, गुंजम जिला, ओडिशा	खनिज आधारित उद्योग

137	4	ओडिशा औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (आईडीसीओ)	ग्राम गौड़ाक्षिपुर और अरिसाल, तहसील जटनी, जिला खुर्दा, ओडिशा	आईटी (नॉलेज पार्क)
138	5	टाटा स्टील विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड	गोपालपुर, जिला- गंजम, ओडिशा	बहु - उत्पाद
		पंजाब		
139	1	क्वार्कसिटी इंडिया प्रा0 लिमिटेड	फोकल प्वाइंट औद्योगिक क्षेत्र, चरण 8- विस्तार, जिला- मोहाली, पंजाब	आईटी
140	2	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि0	प्लॉट नंबर ए-41, फोकल प्वाइंट, मोहाली, पंजाब	औषधीय
141	3	इंफोसिस लिमिटेड	प्लॉट नंबर I-3, आईटी सिटी, सेक्टर - 83, अल्फा, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब	आईटी/आईटीईएस
		राजस्थान		
142	1	जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र	जयपुर, राजस्थान	रत्न एवं आभूषण
143	2	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	ग्राम कलवारा, झाई, भंभोरिया, बगरू खुर्द और नयाता, तहसील- सांगानेर, जिला - जयपुर, राजस्थान	बहु -उत्पाद
		तमिलनाडु		
144	1	एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	चेन्नई, तमिलनाडु	बहु - उत्पाद
145	2	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड	तालुक चेंगलपट्टू, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	आई टी (हार्डवेयर और जैव - सूचना)
146	3	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड	तालुक चेंगलपट्टू, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	
147	4	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड	तालुक चेंगलपट्टू, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	वस्त्र एवं फैशन एक्सेसरी
148	5	नोकिया इंडिया प्रा0 लिमिटेड	श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु	इलैक्ट्रॉनिक दूरसंचार आईटी हार्डवेयर का विनिर्माण एवं संग्रहण (मोबाइल फोन, पुर्जे, घटक एवं फोन एवं नेटवर्क के लिए एक्सेसरिज और सॉफ्टवेयर का विकास अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां एवं अन्य सेवाएं
149	6	फ्लेक्सट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	श्रीपेरंबदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु	इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और संबंधित सेवाएं
150	7	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	सिरुसेरी और एगत्तूर, चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी
151	8	सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	कांचीपुरम, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
152	9	आईजी 3 इंफ्रा लिमिटेड	पल्लीकरनी गांव, तांबरम तालुक, कांचीपुरम, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
153	10	हेक्सावियर टेक्नॉलोजिस लि0	सिपकॉट आईटी पार्क, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, सिरुसेरी, चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
154	1 1	श्रीराम प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	पेरुंगलथुर गाँव, चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
155	12	कोयंबटूर हाई - टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड	केकरनाथम विलेज, उत्तरी कोयम्बटूर तालुक, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
156	13	डीएलएफ इन्फोसिटी डेवलपर (चेन्नई) लि0	मनापक्कम और मल्लीवक्कम गांव कांचीपुरम जिला तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
157	14	तमिलनाडु का राज्य उद्योग संवर्धन निगम	सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु	ट्रेडिंग एवं लॉजिस्टिक ऑपरेशन सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सम्बंधित सहायक

				सेवाएं
158	15	तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (ईएलसीओटी)	ग्राम विलंकुरिची, कोयम्बटूर उत्तर तालुक, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
159	16	तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन	शोलिंगनल्लूर, तांबरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
160	17	चीयर सेज डेवलपर्स प्रा0 लिमिटेड	माथुर में सिपकॉट चेय्यर औद्योगिक पार्क, मंगल गांव, तिरुवन्नमलाई जिला, तमिलनाडु	फुट वेयर
161	18	एस्टैंशिया आईटी पार्क प्रा0 लिमिटेड	वल्नचेरी और पोठेरी गाँव, चैंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	आईटीईएस इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
162	19	स्पैन वेंचर प्रा0 लिमिटेड	कुरीची गाँव, एचानारी, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
163	20	एस्पेनपार्क इंफ्रा कोयम्बटूर प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीपीएल)	करुमाटमपट्टी और किट्टमपलायम गाँव, पल्लदम तालुक, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु	हाईटैक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबंधित सेवाएं
164	21	ईटीए टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड	ओल्ड महाबलीपुरम रोड, नवलूर गांव , चेंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
165	22	न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	सीकिनकुप्पम गाँव, चेय्यार तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	ऑटो अनुषंगी सहित इंजीनियरिंग क्षेत्र
166	23	तमिलनाडु का राज्य उद्योग संवर्धन निगम	तमिलनाडु औद्योगिक विकास केंद्र, श्रीपेरंबुदूर तालुका, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु सिपकॉट	ट्रेडिंग एवं लॉजिस्टिक ऑपरेशन सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सम्बधित सहायक सेवाएं
167	24	न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	सीकिनकुप्पम (परमांकेनी और वेल्लूर गांव , चेय्यूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	बहु उत्पाद
168	25	तमिलनाडु का राज्य उद्योग संवर्धन निगम	तमिलनाडु कॉम्प्लेक्स का सिपकॉट , रानीपेट फेज- III, मुकुंतरायपुरम ग्राम, वलाजाह तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	इंजीनियरिंग
169	26	कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्रा0 लिमिटेड	सिपकॉट आईटी पार्क, सिरुसेरी और काजीपट्टूर गाँव, चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
170	27	तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन	नवलपट्टू ग्राम, तिरुचिरापल्ली तालुक, तिरुचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
171	28	जे. माता दी फ्री ट्रेड ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड	मन्नूर और वेलारपुरम विलेज, श्रीपेरंबुदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	एफटीडब्ल्यूज़ेड
172	29	स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ तमिलनाडु लिमिटेड	सिपकॉट ग्रोथ सेंटर, पेरुंडुरई विलेज, इरोड जिला, तमिलनाडु	इंजीनियरिंग
173	30	तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन	इलन्डीकुलम गाँव, मदुरै ।, उत्तरी मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
174	31	तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन	जागीर अम्मपलायम गाँव, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
175	32	तमिलनाडु का राज्य उद्योग संवर्धन निगम	तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	सभी उद्देश्य एवं परिवहन उद्योग क्षेत्र के लिए टायर एवं ट्यूब के विनिर्माण सहित परिवहन इंजीनियरिंग सामग्री
176	33	आईजी 3 इंफ्रा लिमिटेड (ईटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज	वडामुगम कांजीमपालयम ग्राम, पेरुंडुरई तालुका, इरोड	वस्त्र

		लिमिटेड)	जिला, तमिलनाडु	
177	34	एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड	नंगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बहु - उत्पाद
178	35	ट्रिल इन्फोपार्क लि0	ममबलम- का कनगाम गाँव और मायलापुर-तिरूवनमियार गुंइडी तालुक, मलयापुर त्रिपलीकेनतानुक , चेन्नई जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस
179	36	सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र लि0	वडक्कुकराचेरी और थिमाराजापुरा गाँव, तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु	खाद्य - प्रसंस्करण
180	37	एल एंड टी शिपबिल्डिंग लिमिटेड	गाँव कट्टुपल्ली, पॉनेरी तालुक, जिला तिरुवल्लुर, तमिलनाडु	भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र
181	38	चीयर सेज डेवलपर्स प्रा0 लिमिटेड	सिपकॉट औद्योगिक विकास केंद्र, बारगुर, उथंगराई और पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु	फुटवेयर
182	39	फ्रंटियर लाइफलाइन प्रा0 लिमिटेड	एदुर गाँव, गुम्मुदीपुंडी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	जैव - प्रौद्योगिकी
183	40	प्लैटिनम होल्डिंग्स प्रा0 लिमिटेड	2/1, अबू गार्डन, ओएमआर रोड, नवलूर, चेन्नई- 600 130	आईटी/आईटीईएस
		तेलंगाना		
184	1	विप्रो लिमिटेड	रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना	आईटी
185	2	एलएंडटी फीनिक्स इंफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड	सीरीलिंगपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
186	3	हैदराबाद रत्न विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड	महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	रत्न एवं आभूषण
187	4	टेक महिंद्रा लि0	बहादुरपल्ली गाँव, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
188	5	टेक महिंद्रा लि0	हाईटेक सिटी, माधापुर, जिला हैदराबाद, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
189	6	सनडयू प्रोपर्टीज प्रा0 लिमिटेड	मधापुर, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
190	7	सीएमसी लिमिटेड	ग्राम गाचीबोवली, राजेंद्र नगर तालुक, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस सक्षम सेवाएं
191	8	फैब सिटी एसपीवी (इंडिया) प्रा0लिमिटेड	ग्राम श्रीनगर और रविर्याल, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	मुक्त व्यापार एवं भण्डारण जोन सहित सेमी के डक्टर सुविधा का विनिर्माण एवं विकास
192	9	इंदू टैकजोन प्रा0लि0	ममीदीपल्ली गांव, सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
193	10	लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड	मणिकोंडा ग्राम, राजेंद्रनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
194	1 1	तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी)	नानकरामगुडा गाँव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
195	12	डीएलएफ इंफो सिटी हैदराबाद लिमिटेड	गाचीबोवली गाँव, शिर्लिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
196	13	एनएसएल विशेष आर्थिक क्षेत्र (हैदराबाद) प्रा0 लिमिटेड	आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
197	14	दिव्याश्री एनएसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	रायदुर्ग गाँव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
198	15	जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	इमरत कांचा, रवरीयाल गाँव, हिमरथ तालुक, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
199	16	स्टारगेज प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड।	कांचा इमरत, रविर्याल गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
200	17	निर्मल प्रोपर्टीज प्रा0 लिमिटेड	पोखरम गांव, हयातनगर तालुका, घाटकेसर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
201	18	तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी)	पोलीपल्ली गाँव, जेडचर्ला मंडल, महबूबनगर जिला, तेलंगाना	औषधीय संरचना
202	19	विप्रो लिमिटेड	गोपनपल्ली और वातिनागुलपल्ली गाँव, सीरेलिंगमपल्ली मंडल रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस

203	20	तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी)	मदिकोंडा ग्राम, हनमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
204	21	इंफोसिस लिमिटेड	पोचरम ग्राम, घाटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी
205	22	तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी)	आदित्य नगर, आदिबटला गाँव, इब्राहिमपटनम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं परिशुद्धि इंजीनियरिंग उद्योग
206	23	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	आदिबटला गाँव, इब्राहिमपटनम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
207	24	तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी)	जीनोम वैली, ग्राम लालगादी मालाकपेट, मंडल शेरेपेट, रंगा रेड्डी, तेलंगाना	जैव प्रौद्योगिकी
208	25	जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	ग्राम ममदीपल्ली, जिला रंगा रेड्डी, तेलंगाना	विमानन
209	26	शांता बायोटेक्निक्स प्रा0लिमिटेड	गाँव मुप्पिरदीपल्ली, मंडल तोपरान, जिला मेडक, तेलंगाना	जैव प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाएं
210	27	रेडिएंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	मुप्पिरदीपल्ली गांव, तेलंगाना	इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर और अन्य संबंधित सेवाएं
211	28	मन्त्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	नानकरामगुडा गाँव, गचीबोवली, सीरिलंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
212	29	लक्ष्मी इनफोबन प्रा0 लिमिटेड	कोकपेट गांव, राजेंद्रनगर मंडल, तेलंगाना	आईटी/आईटीईएस
		उत्तर प्रदेश		
213	1	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बहु - उत्पाद
214	2	मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (यूपीएसआईडीसी)	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	इंजीनियरिंग सहित हस्तशिल्प ब्राडबैंडिंग
215	3	मोजर बीयर इंडिया लि0	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	सौर ऊर्जा उपकरणों/सैल सहित गैर परम्परागत ऊर्जा
216	4	अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड	टैकजोन , ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी/आईटीईएस
217	5	एचसीएल टैक्नॉलोजीस लि0.	सेक्टर 126, नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी/आईटीईएस
218	6	एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एसइजेड	प्लॉट नंबर टीटीजेड -02, सेक्टर-टेक जोन, आईटीईएस पार्क, ग्रेटर नोएडा, यूपी	आईटी/आईटीईएस
219	7	विप्रो लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी/आईटीईएस
220	8	सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड	प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी
221	9	ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्रा0 लिमिटेड	प्लॉट नंबर 7, सेक्टर- 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी/आईटीईएस
222	10	अर्शिया नॉर्दन एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड	इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ़ मौजपुर, जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।	एफटीडब्ल्यू जेड
223	1 1	अर्थ इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	सेक्टर टैकजोन -IV, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	आईटी/आईटीईएस सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
224	12	एचसीएल आईटी सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम कंजेहारा और मस्तमऊ, चाक गजरिया फार्म, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	आईटी/आईटीईएस
		पश्चिम बंगाल		
225	1	फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र	फाल्टा, पश्चिम बंगाल	बहु - उत्पाद
226	2	मणिकांचन विशेष आर्थिक क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	रत्न एवं आभूषण

227	3	विप्रो विशेष आर्थिक क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	आईटी
228	4	एमएल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड	दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	आईटी/आईटीईएस
229	5	कैंडर कोलकाता वन हाई-टेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	राजरहाट जिला उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	आईटी/आईटीईएस
230	6	टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज लिमिटेड	प्लॉट नंबर II-एफ / 3, एक्शन एरिया- II, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	आईटी/आईटीईएस
231	7	डीएलएफ लिमिटेड	प्लॉट नंबर II / 1, ब्लॉक- II एफ, एक्शन एरिया- II, न्यू कोलकाता टाउनशिप, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	आईटी/आईटीईएस

8 फरवरी 2019 को लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 08 के लिए अनुबंध -।।

निर्धारित नियमों का पालन न करने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विवरण				
क्र. सं.	विकास कर्त्ता का नाम	स्थान	एसईजेडों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का परिणाम
1.	मेसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड और को - डेवलपर्स मैसर्स महिन्द्रा रेज़ीडोन्शियल डेवलपर्स लिमिटेड मैसर्स महिन्द्रा इन्टेग्रेटिड टाउनाशिप लिमिटेड और मैमर्स महिन्द्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड	तालुक चेगलपट्टू, कांचीपुरम, जिला तमिलनाडु	आवासीय इकाईयों को पट्टे पर देने हेतु लिए गए शुल्क की वसूली के लिए दिनांक 18.2.2014 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया ।	यह मामला विचाराधीन है
2.	मैमर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	सीकिनअकुप्पम ग्राम, चेय्यर तालुक कांचीपुरम, जिला तमिलनाडु	आवासीय इकाईयों को पट्टे पर देने हेतु लिए गए शुल्क की वसूली के लिए दिनांक 15.02.2016 को मूल आदेश जारी किया गया ।	यह मामला विचाराधीन है
3.	मैमर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	सीकिनअकुप्पम ग्राम, चेय्यर तालुक कांचीपुरम, जिला तमिलनाडु	आवासीय इकाईयों को पट्टे पर देने हेतु लिए गए शुल्क की वसूली के लिए दिनाकं 15.02.2016 को मूल आदेश जारी किया गया ।	यह मामला विचाराधीन है
4.	मैसर्स पर्सीपिना डेवलपर्स प्रा. लि. (पीडीपीएल) पूर्व सनी बिस्त रियलेटर्स प्रा. लि.)	ग्राम भोकर पडा, पन्वेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	एसईजेड़ अधिनियम/नियम के उल्लंघन के लिए विकासकर्त्ता को 1009994 वर्ग मी. के एसईजेड को गैर - अधिसूचित करने के लिए कहा गया ।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा करों के रूप में लिए गए लाभ के लिए 12,82,76,794 रूपए और 25,42,16,459 रूपए की राशि के भुगतान के उपरांत दिनांक 17.01.2019 को 1009994 वर्ग मी. के एसईजेड को गैर - अधिसूचित कर दिया गया ।
5.	मैसर्स असल आईटी सिटी और पार्कस लि. और को डेवलपर्स अर्थ आइकेनिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. एसईजेड	टैकज़ोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	अनुमोदन बोर्ड एसईजेड अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दिनांक 2.11.2018 को विकासकर्ता और सह - विकासकर्ता को कारण बताओं नोटिस जारी करने करने के निदेश दिए ।	पुनरीक्षण एवं जारी करने हेतु एक कारण बताओं नोटिस का प्रारूप तैयार किया गया है।
6.	मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉपरेशन लिमिटेड	जिला अहमदाबाद, गुजरात	अनुमोदन पत्र की शर्तों के उल्लंघन के लिए विकासकर्ता को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है ।	अर्ध - न्यायिक प्रक्रिया का आरम्भ किया गया है ।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 8**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

खाद्य सुरक्षा हेतु यूएई और सऊदी अरब द्वारा निवेश

8. श्री के॰ परसुरमनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूएई और सऊदी अरब ने अपनी खाद्य सुरक्षा चिन्ताओं को दूर करने के लिए भारत को आधार के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशिष्ट यूएई बाजार को ध्यान में रखते हुए यह विशेष आर्थिक जोन के समान होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा और परिव्यय क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) से (घ) यूएई सरकार ने भारत के साथ एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा परियोजना का निष्पादन करने के लिए एमार को नामित किया है । इसमें भारत से यूएई को खाद्य उत्पादों का निर्यात 2.2 बिलियन डॉलर से तीन वर्षों में तिगुना लगभग 6.7 बिलियन डॉलर करने के इरादे से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में लॉजिस्टिक और शीत भण्डारण श्रृंखला तथा खाद्य प्रसंस्क्रण की सुविधा की स्थापना को परिकल्पित किया गया है ।

अब तक सउदी अरब से ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 02**

दिनांक 4 फरवरी, 2019 **को उत्तर दिये जाने के लिए**

चीन को कच्ची चीनी का निर्यात

2. श्री बी॰ विनोद कुमारः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने समस्त बाज़ार स्थितियों पर विचार करने के उपरान्त चीन को कच्ची चीनी का निर्यात करने के लिये किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर–बासमती चावल के बाद चीन को निर्यात किया जाने वाला दूसरा उत्पाद चीनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चावल के निर्यात से हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है तथा सरकार वृहद सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिये चीन को निर्यात किये जाने वाले उत्पादों में चीनी को शामिल किये जाने में किस प्रकार सहायता करती है; और

(ङ) क्या सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करते समय समस्त हितधारकों एवं उनकी जरूरतों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

‘चीन को कच्ची चीन के निर्यात’ के संबंध में दिनांक 04.02.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 02 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी नहीं । सरकार ने चीन को कच्ची चीनी का निर्यात करने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत सरकार चीन के प्राधिकारियों के साथ इंगेजमेंट्स द्वारा और चीन के चीनी आयातकों के साथ हमारे चीनी निर्यातकों से व्यावसायिक वार्त्ता को सुगम बनाकर चीनी के निर्यात के लिए निरतंर प्रयास कर रही है ।

(ग) और (घ): चीनी और चावल के निर्यात के अतिरिक्त, भारत चीन को अन्य वस्तुओं/उत्पादों का भी निर्यात करता है और चीन को निर्यात की गई शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं का विवरण विगत तीन वर्षों में उनके निर्यात सहित अनुबंध - । में दिया गया है ।

जून 2018 में क्विंगडाओं में चीन को भारतीय चावल के निर्यात के नवाचार पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसके बाद उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2018 में चीन को शुरूआती 362 मी.टन चावल का निर्यात किया गया ।

विगत 2 वर्षों में चीनी के बढ़े हुए उत्पादन के कारण निर्यात के लिए इसका अधिशेष उपलब्ध है । चूँकि चीन प्रति वर्ष 3-5 मिलियन मी.टन चीनी का आयात करता है, इसलिए सरकार अधिशेष चीनी के निर्यात के लिए निर्यातकों को सुकर बनाने हेतु नियमित बी 2 बी इंगेजमेंट्स का आयोजन करती है ।

(ङ): उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

******

(अनुबंध I)

चीन को प्रमुख वस्तु - वार निर्यात

प्रमुख वस्तु	इकाई	2015-16 मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	2016-17 मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	2017-18 मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	अप्रैल-नवम्बर '17 मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	अप्रैल-नवम्बर '18 * मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में
जैविक रसायन	कि.ग्रा.	472.34	452.81	1559.63	868.38	1675.60
तांबा और तांबे से बने उत्पाद		1144.35	702.00	1548.51	950.19	156.84
पेट्रोलियम उत्पाद	टन	636.11	789.43	1507.00	804.88	2346.41
लौह अयस्क	टन	155.28	1449.60	1091.23	662.26	581.15
सूती धागा	टन	1474.51	1045.65	858.84	538.48	892.29
प्लास्टिक रॉ मैटिरियल	टन	261.13	244.68	494.87	229.54	676.69
ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद	कि.ग्रा.	408.59	411.59	461.60	301.59	294.80
अरंड़ी का तेल	कि.ग्रा.	276.65	264.93	424.30	286.73	239.77
लोहा और इस्पात	टन	145.60	344.84	324.12	202.86	166.40
मसाले	कि.ग्रा.	171.47	193.24	314.69	211.30	236.22
कुल शीर्ष 10 #	-	**5146.03**	**5898.76**	**8584.80**	**5056.21**	**7266.17**
शेष कुल वस्तुएं	-	**3868.52**	**4273.65**	**4749.62**	**3056.59**	**3831.68**
कुल योग	-	**9014.55**	**10172.41**	**13334.42**	**8112.80**	**11097.84**

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

*** 2018-19 के लिए आंकडे अनंतिम हैं**

शीर्ष 10 वस्तुओं को 2017-18 के निर्यात मूल्यों के अनुसार अवरोही क्रम में रखा गया है ।

*****